

## प्रस्तावना

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, केही महसुल, कर, मालपोत र दस्तुर लगाउन, लिइरहेको दरलाई चालु राख्न तथा हेरफेर गरी स्थानीय कर, दस्तुर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनिय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बागमती गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

### १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

१. यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७९” रहेको छ ।
२. यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेदेखि गाउँपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

### २. सम्पत्ति कर:

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र अनुसूची-१ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ३. भूमिकर (मालपोत)

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र अनुसूची - २ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ४. घरजग्गा बहाल कर

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा बहाल लिनेदिने बिचको सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधि र रकममा अनुसूची - ३ बमोजिम बहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ५. व्यवसाय कर

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा अनुसूची - ४ बमोजिम पूँजीका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

### ६. बहाल बिटौरी शुल्क

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अनुसूची- ३ मा उल्लेख भए अनुसार हाट, बजार वा पसल तथा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत सोही अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसारको बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र

असूल उपर गरिनेछ ।

७. पार्किङ शुल्क:

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची - ५ बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

८. जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु कर:

बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, बनकस(खर), कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरीएको जिवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएको जिवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको वयावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची - ६ बमोजिम कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

९. सेवा शुल्क, दस्तुर:

१. बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, ट्रेकिङ, कायोकिङ, क्यानोनिङ, बज्जिजम्प, जिप फ्लायर, च्यापिटङ शुल्क, प्याराग्लाइडिङ लगायतका स्थानयि पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसाय सञ्चालनमा अनुसूची - ७ बमोजिम शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

२. बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरीएको अनुसूची - ७ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. विज्ञापन कर:

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची - ८ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सोही बमोजिम हुनेछ ।

११. मनोरञ्जन कर:

गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची - ९ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सोही बमोजिम हुनेछ ।

## १२. कर छुट तथा जरिवाना:

१. उपदफा (२) मा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएको व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन ।

२. क) बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि उद्योग, पेशा, व्यापार तथा व्यवसाय हालसम्म पनि गाउँपालिकामा दर्ता नगर्नु हुने पेशा तथा व्यवसायकर्मीहरूले आर्थिक वर्ष ०७९/८० सुरु भएको ३ महिना (असोज मसान्त) भित्र र त्यसपछिको अर्को ३ महिना (पुष मसान्त) भित्र दर्ता गर्न आएमा त्यस्ता व्यवसायहरूलाई चालु आ.व.मा स्वीकृत राजस्वका दररेट अनुसार गाउँपालिकामा स्थापना हुनु पूर्वको व्यवसाय भएमा गाउँपालिका स्थापना भएको आ. व. देखि हाल सम्मको राजस्व हिसाब गरी दर्ता तथा वार्षिक दस्तुरमा क्रमशः २५ (पच्चिस) र १० (दश) प्रतिशत छुट दिई व्यवसाय दर्ता गरिनेछ, दिइएको समयमा दर्ता गर्न नआएमा यसै प्रकरणमा उल्लेखित दरमा हिसाब गरी दिइएको बमोजिमको जरिवाना समेत थप गरी दर्ता गरिनेछ साथै यस अघि नै व्यवसाय दर्ता गरी नियमित कर बुझाइ रहनु भएको करदाताले आ. व. शुरू भएको पहिलो तीन महिना भित्र कर तिर्न आएमा कर रकमको पाँच प्रतिशत कर छुट दिइनेछ ।

ख) महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, दलित र अपाङ्गता भएको व्यक्ति लगायत लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूलाई व्यवसाय दर्ता शुल्क र वार्षिक करमा २५ (पच्चिस) प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

ग) परम्परागत घरेलु उद्योगहरू ढाका, सुकुल र भाँडाकुँडाको व्यवसायलाई वार्षिक करमा पच्चिस प्रतिशत कर छुट दिइनेछ ।

ग) विश्वव्यापी महामारी कोभिड- १९ को कारण भएको निषेधाज्ञा अवधिमा कर बुझाउनु पर्ने करदाताहरूलाई २०७९ आषाढ सम्मको कर २०७९ भाद्र मसान्तसम्म बुझाउन आएमा थप जरिवाना लिइने छैन ।

घ) कृषि औजार निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धी उद्योग र अर्गानिक कृषि उत्पादन व्यवसायलाई कुनै प्रकारको कर लिइने छैन ।

ङ) गाउँपालिका भित्र नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस, भूकम्प पीडितलाई दिइने सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का, विपन्नलाई दिइने सिफारिस, ३५ दिनभित्र हुने घटनादर्ता, स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्ति, बडाबाट गाउँपालिकामा गरिने सिफारिस तथा गाउँपालिकाबाट अन्य सरकारी निकायमा गरिने सिफारिसमा कुनै शुल्क र दस्तुर लिइने छैन ।

३. कुनै पनि करदाताले सम्बन्धित आ. व. को कर जुन आर्थिक वर्षको हो सोही आर्थिक वर्षमा तिर्नु पर्दछ तर उक्त आर्थिक वर्षमा नतिरी अर्को आर्थिक वर्षमा तिर्न आएमा लाग्ने करको प्रति वर्ष दश प्रतिशतको दरले थप जरिवाना सहित कर असूल गरिनेछ । यदि कुनै करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर तथा जरिवाना रकम तीन वर्षसम्म पनि नबुझाए वा व्यवसाय नविकरण नगरेमा निजको दर्ता खारेज

गरिनेछ । खारेज भएको सोही व्यवसाय पुनः दर्ता गर्न आएमा बक्यौता रकम समेत लिई लाग्ने रकमको दोब्बर दस्तुर लिई पुनः दर्ता गरिनेछ ।

४. घर बहाल कर जुन आ.व.को हो सोही आ.व.मा वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्नेछ, करदाताले चाहेमा चालु आ.व.को कर मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा समेत दाखिला गर्न सक्नेछ ।

५. मालपोत(भूमिकर) जुन आ.व.को हो सोही आ.व.मा वार्षिक रूपमा तिर्नु पर्नेछ । यसरी गाउँपालिका स्थापना हुनु पूर्वको मालपोत(भूमिकर) नतिर्नेलाई शतप्रतिशत छुट गरी सो भन्दा पछाडिको आ.व. मा आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिम र आर्थिक ऐन जारी नभएको वर्ष गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रत्येक आ.व. को बाँकि बक्यौताको थप १० प्रतिशत जरिवाना सहित कर असूल उपर गरिनेछ ।

६. बागमती गाउँपालिका, ललितपुर क्षेत्रभित्र गाउँ कार्यपालिकाको तोकेको निषेधित कार्य गरेमा अनुसूची ७.२ बमोजिम जरिवाना लिइनेछ ।

### १३. शिक्षा विकास कोष शुल्क

१. गाउँ क्षेत्रभित्र रहेका निजी शैक्षिक संस्था, शैक्षिक परामर्श सेवा तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अभिलेखिकरण, नविकरण, परीक्षा शुल्क साथै स्थानान्तरण बापत अनुसूची- १० मा दिइएकोको दरमा शिक्षा विकास कोष शुल्क लगाई असूल उपर गरिनेछ ।

### १४. प्रक्रिया सरलीकरण तथा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने:

यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्थामा खलल वा आवागमनमा अवरोध हुन जाने सम्भावना वा विपद्को कारणले कुनै जटिलता देखिएमा गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यकतानुसार लगाएको दस्तुर, शुल्क वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन वा अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको कुनै बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।

### १५. प्रहरीको सेवा लिन वा गाउँ प्रहरी खटाउन सक्ने:

यो ऐन र अन्य कानूनले गाउँपालिकाले गर्ने भनी दिइएकोका वा गाउँ कार्यपालिका वा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल प्रहरीको सहयोग माग्न वा गाउँ प्रहरी वा गाउँ प्रहरीको काम गर्न सेवा सम्झौता गरिलिएको जनशक्तिलाई गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले खटाउन सक्नेछ ।

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्था भए अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

**१७. कर असूल गर्दा घटी बढी भएमा तथा दुविधा भएमा:**

यस ऐन अनुसार गाउँपालिकाले करदातासँग कर, मालपोत, शुल्क, दस्तुर असूल गर्दा अंक गणितीय भूल वा प्रविधि वा प्राविधिक कमजोरीका कारणले करदाताबाट घटी रकम असूल भएकोमा बाँकि रकम थप गरी करदाताबाट असूल गर्न र करदाताबाट बढी रकम असूल गरिएको देखिएमा लाग्ने रकम जति कटाएर बढी भए जति रकम सम्बन्धित करदातालाई फिर्ता गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आदेश दिन सक्नेछ साथै एउटै व्यवसाय वा कम्पनी खोली उद्देश्यमा धेरै विषय समावेश गरी गाउँपालिकामा दर्ता तथा आबद्धता हुन आउँदा राजस्व असूल गर्न दुविधा पर्न गएमा उल्लेख भएमध्ये सबैभन्दा बढी लाग्ने उक्त शीर्षकको राजस्व लिई दर्ता तथा आबद्धता गराईनेछ ।

१८. यो ऐन तयार गर्ने क्रममा साविकमा भइरहेको व्यवस्थामा समय सापेक्ष विवरण संशोधन तथा थपघट गर्दा भूलवश कुनै शीर्षक तथा दररेट छुट हुन गएमा गत आ.व. मा भएको व्यवस्था अनुसार कर, शुल्क तथा राजस्व असूल गरिनेछ । उक्त शीर्षक गत आ.व. हरूको आर्थिक ऐनमा समेत समावेश नभएको भएमा कार्यपालिकाबाट निर्धारण गरेको दररेटमा राजस्व असूल गरिनेछ ।

१९. कुनै व्यवसायी तथा व्यक्तिले अस्वभाविक तथा शंकास्पद आय वा सम्पत्ति घोषणा गरी कर लिनका लागि अनुरोध गरेमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय / वडा कार्यालयले आवश्यक ठानेमा स्थलगत सर्जिमिन गराई यथार्थ विवरणको आधारमा कर असूल गरिनेछ ।

२०. नम्बरी आवादी शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यक्तिका जग्गा नम्बरी, आवादी र सार्वजनिक क्षेत्रको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यङ्कन गरेको ठाउँको ढुङ्गा, गिटी, माटो उत्खनन् गरी बिक्री वितरण गरेबापत अनुसूची -११ बमोजिम शुल्क लगाई कर असूल उपर गरिनेछ ।

अनुसूची-१

(दफा १ सँग सम्बन्धित)

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको सम्पत्ति करको दर

एकीकृत सम्पत्ति करका दर रेटहरु

| क. जग्गाको मूल्याङ्कन |     |                                      |                                     |                                         |                                      |                      |                              |        |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
| क्र.स.                | वडा | कान्तिलोपथसँग<br>जोडिएको प्रति रोपनी | मुख्य सडकसँग<br>जोडिएको प्रति रोपनी | शाखा मोटरबाटोसँग<br>जोडिएको प्रति रोपनी | गोरेटोबाटोसँग<br>जोडिएको प्रति रोपनी | खेत तर्फ प्रति रोपनी | पाखाबारी तर्फ प्रति<br>रोपनी | कैफियत |
| १                     | १   |                                      | १००००००                             | ४०००००                                  | ३०००००                               | ३०००००               | २०००००                       |        |
| २                     | २   | २५०००००                              | १००००००                             | ५०००००                                  | २०००००                               | ३०००००               | १०००००                       |        |
| ३                     | ३   | २५०००००                              | २५०००००                             | ४०००००                                  | १५००००                               | १०००००               | ५००००                        |        |
| ४                     | ४   |                                      | १००००००                             | ५०००००                                  | ३०००००                               | ३०००००               | २०००००                       |        |
| ५                     | ५   |                                      |                                     | ५०००००                                  | २०००००                               | ४०००००               | ५००००                        |        |
| ६                     | ६   |                                      | ८०००००                              | ४०००००                                  | २०००००                               | २०००००               | ५००००                        |        |
| ७                     | ७   |                                      | ८०००००                              | ४०००००                                  | २०००००                               | ३०००००               | ५००००                        |        |

| ख. करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन |                                         |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| क्र.स.                           | मूल्याङ्कन                              | रकम रु. |
| १                                | ०१-२५००००                               | ५०      |
| २                                | २५०००१-५०००००                           | ७५      |
| ३                                | ५००००१-७५००००                           | १२५     |
| ४                                | ७५०००१-१००००००                          | १५०     |
| ५                                | १०००००१-१२५००००                         | २००     |
| ६                                | १२५०००१-१५०००००                         | २५०     |
| ७                                | १५००००१-१७५००००                         | ३००     |
| ८                                | १७५०००१-२००००००                         | ३५०     |
| ९                                | २०००००१-२५०००००                         | ४००     |
| १०                               | २५००००१-३००००००                         | ४५०     |
| ११                               | ३०००००१-३५०००००                         | ५००     |
| १२                               | ३५००००१-४००००००                         | ६००     |
| १३                               | ४०००००१-४५०००००                         | ७००     |
| १४                               | ४५००००१-५००००००                         | ८००     |
| १५                               | ५० लाख देखि माथि प्रति लाख रु. २५ ले थप |         |
| १६                               | १ करोडदेखि माथि प्रति लाख रु. ४० ले थप  |         |

| ग. घरको मूल्याङ्कन |                         |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| सि.न.              | विवरण                   | प्र.व.फि.मू.दर रु.मा |
| १                  | R.C.C. Fram Structure   | १५००                 |
| २                  | सिमेन्ट जोडाई ढलान      | १०००                 |
| ३                  | सिमेन्ट ढलान जस्ता/टायल | ८००                  |
| ४                  | माटो जोडाई जस्ता/टायल   | ५००                  |

|   |               |     |
|---|---------------|-----|
| ५ | काठ तथा फुसको | ३०० |
|---|---------------|-----|

नोट: सम्पत्ति करको लागि घर जग्गाको गणना गर्दा १ रोपनी सम्मको जग्गामा बनेको घर/संरचना र घर/संरचनाले चर्चेको जग्गा वा एउटै कित्ता भए १ रोपनी सम्मको जग्गालाई सम्पत्ति कर र बाँकि जग्गालाई भूमिकर(मालपोत) गणना गरिनेछ ।

### अनुसुचि-२

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको भूमिकर (मालपोत) करको दर

| क्र.सं. | विवरण         | दर | एकाई  | कैफियत                                           |
|---------|---------------|----|-------|--------------------------------------------------|
| १       | १-५           | २५ | रोपनी | बागमती गाउँपालिका, ललितपुर स्थायी ठेगाना भएको हक |
| २       | ५-१५          | ३५ | रोपनी |                                                  |
| ३       | १५ भन्दा माथि | ५० | रोपनी |                                                  |

| क्र.सं. | विवरण         | दर | एकाई  | कैफियत                                                    |
|---------|---------------|----|-------|-----------------------------------------------------------|
| १       | १-५           | ४० | रोपनी | बागमती गाउँपालिका, ललितपुर भन्दा बाहिर स्थायी ठेगाना भएको |
| २       | ५-१५          | ५० | रोपनी |                                                           |
| ३       | १५ भन्दा माथि | ६० | रोपनी |                                                           |

नोट: पहिलो चौमासिक(असोज मसान्त)भित्र तिरेमा १० प्रतिशत छुट ।

दोश्रो चौमासिक(पौष मसान्त)भित्र तिरेमा ५ प्रतिशत छुट ।

१. सोही आ.व. मा कर नतिरेमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना

२. ५ वर्षसम्म नतिरेमा थप ५० प्रतिशत जरिवाना

३. ५ वर्ष वा सोभन्दा माथि नतिरेमा १०० प्रतिशत जरिवाना सहित कर असुल उपर गरिनेछ ।

### अनुसुचि-३

(दफा ४ र दफा ६ सँग सम्बन्धित)

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको घरजग्गा बहाल र बहाल विटौरी करको दर

| क्र.सं. | विवरण                                 | दर         | कैफियत |
|---------|---------------------------------------|------------|--------|
| १       | व्यवसायिक प्रयोजनमा बहालमा लगाइएको घर | १० प्रतिशत |        |
| २       | आवासीय प्रयोजनमा बहालमा               | ५ प्रतिशत  |        |

|                                                 |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | लगाइएको घर                                                                                                            |                                       |                                                                                     |
| ३                                               | अन्य प्रयोजनमा बहालमा लगाइएको घर                                                                                      | १० प्रतिशत                            |                                                                                     |
| <b>व्यवसायिक प्रयोजनमा बहालमा लगाइएको जग्गा</b> |                                                                                                                       |                                       |                                                                                     |
|                                                 | कृषि प्रयोजन                                                                                                          | गैर कृषि प्रयोजन                      |                                                                                     |
|                                                 | २ (दुई) प्रतिशत                                                                                                       | ५(पाँच) प्रतिशत                       |                                                                                     |
| ४                                               | सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा बनेको टहरो छाप्रोको                                                                       | २००                                   | नोट : कान्तिलोक पथ मापदण्ड भित्र उक्त आयोजनाले हटाउँदा स्वतः हटाउन मन्जुरी रहने छ । |
| ५                                               | घुम्ती पसल वार्षिक                                                                                                    | १००                                   |                                                                                     |
| ६                                               | ठेला वार्षिक                                                                                                          | ५०                                    |                                                                                     |
| ७                                               | शाखा सडक छेउछाउको घर टहरा ( भुमीहिनको लागि)                                                                           | ०.५० रुपयाँ प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष |                                                                                     |
| ८                                               | सडक छेउछाउको घर टहरा व्यवसायको हकमा (२०७४ सालको निर्वाचन अगाडि बनेका संरचनाहरुको लागि)                                | एकमुष्ट रु २०,०००।-                   |                                                                                     |
| ९                                               | सडक छेउछाउको घर टहरा (२०७४ सालको निर्वाचन अगाडि बनेका संरचनाहरुको लागि)                                               | एकमुष्ट रु ५०००।-                     |                                                                                     |
| १०                                              | सडक छेउछाउको घर टहरा (२०७४ सालको निर्वाचन अगाडि बनेका संरचनाहरुको लागि) कर तिरेको रसिद भएमा                           | रु. ५। प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष      |                                                                                     |
| ११                                              | कान्तिलोकपथ सडक छेउछाउको घर टहरा तथा चर्चेको उपभोग गरेको क्षेत्र ((२०७४ सालको निर्वाचन पछाडि बनेका संरचनाहरुको लागि ) | रु. ३५ प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष      |                                                                                     |

२.५ अस्थायी तथा घुम्टि दैनिकतथा साप्ताहिक हाट, बजार, पसल तथा सेवा कर

| क्र.सं.                                                  | विवरण                                                                      | आ.व. २०७९/२०८० का लागि प्रस्तावित रु | कैफियत |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| <b>क) माछा, मासु तथा अण्डा विक्रि गर्ने पसल सम्बन्धी</b> |                                                                            |                                      |        |
| १                                                        | खसी, बोका, राँगो, भेडा, च्यांग्रा, बुँगुर काटि मासु विक्री गर्ने प्रतिगोटा | ५०                                   |        |
| २                                                        | माछा (सिंगै वा काटेर) विक्रि गर्ने पसल एक मुष्ट                            | ३०                                   |        |
| ३                                                        | परेवा, हासँ, लोकल तथा बोइलर कुखुरा काटि मासु बेच्ने पसल                    | ३०                                   |        |
| ४                                                        | माछा सिद्रा तथा सुकुटी पसल                                                 | २०                                   |        |
| ५                                                        | हांस तथा कुखुराका अण्डा बेच्ने पसल                                         | २०                                   |        |
| <b>ख) तरकारी तथाफलफूलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा</b>         |                                                                            |                                      |        |
| १                                                        | फलफूल, नास्ता ठेलामा राखि विक्री गर्ने                                     | ४०                                   |        |
| २                                                        | साग सव्जी डोकामा वा डालामा ल्याई बेच्ने                                    | ५०                                   |        |
| ३                                                        | भारमा सव्जी ल्याई बेच्ने                                                   | ५                                    |        |
| ४                                                        | सिजन अनुसारको साग सव्जी आलु पसल ठूलोमा                                     | २५                                   |        |
| ५                                                        | सिजनअनुसारको साग सव्जी आलु पसल सानोमा                                      | २०                                   |        |
| ६                                                        | फलफूल सागसव्जीप्रति बयलगाडा । ठेलागाडा                                     | १०                                   |        |
| ७                                                        | फलफूल सागसव्जी प्रतिवोरा र अन्य साना फलफूल पसलमा                           | १०                                   |        |
| <b>ग) खाद्य तथा पेयपदार्थ सँग सम्बन्धित</b>              |                                                                            |                                      |        |
| १                                                        | चामल, दाल, अदुवा, लसुन, खोर्सानी आदि विक्रि गर्ने पसल                      | ३०                                   |        |
| २                                                        | मकै पोली बेच्ने                                                            | ५                                    |        |
| ३                                                        | किराना सामान विक्रि गर्ने पसल                                              | २५                                   |        |

|                                                      |                                                                                       |     |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ४                                                    | माछा मासु तरकारी सहितको नास्ता विक्रि गर्ने                                           | १०० |  |
| ५                                                    | चिया,कफि तथा नास्ता पसल                                                               | ५०  |  |
| ६                                                    | प्याजी, परौठा, रोटी लगायतका नास्ता पसल                                                | ३०  |  |
| ७                                                    | मुरै, भलमुरी तथा चटपटे तथा मामफुली पसल                                                | २५  |  |
| ८                                                    | मिठाइ पसल                                                                             | ७५  |  |
| ९                                                    | सितल पेय पदार्थ (सफ्ट ड्रिंक, फलफूलको रस आदि)                                         | २५  |  |
| १०                                                   | मासु तथा ईजाजत प्राप्त मदिरा विक्री पसल                                               | १५० |  |
| ११                                                   | विस्कुट, पाउरोटी, केक लगायत बेच्ने पसल                                                | २०  |  |
| १२                                                   | ठेलामा चाउमिन, छोला, पानी पुरी बेच्ने                                                 | ५०  |  |
| <b>घ) चियापत्ति तथा जडिबुटी</b>                      |                                                                                       |     |  |
| १                                                    | चियापत्ति बेच्ने पसल                                                                  | २५  |  |
| २                                                    | औषधिजन्य जडिबुटी विक्रि गर्ने पसल                                                     | २५  |  |
| <b>ङ) कपडा तथा जुत्ताचप्पलसँग सम्बन्धी व्यवसायमा</b> |                                                                                       |     |  |
| १                                                    | रेडिमेड कपडा विक्री गर्ने पसलमा                                                       | ७५  |  |
| २                                                    | थान कपडा विक्री गर्ने पसलमा                                                           | १०० |  |
| ३                                                    | भुल तथा फाटा कम्पनीका कपडा                                                            | २५  |  |
| ४                                                    | जुत्ताचप्पल विक्री गर्ने पसल ठूलो                                                     | ५०  |  |
| ५                                                    | तयारी भोला विक्री गर्ने पसल                                                           | २५  |  |
| ६                                                    | जुत्ताचप्पल विक्री गर्ने पसल सानो                                                     | २५  |  |
| ७                                                    | जुत्ताचप्पल सिलाई गर्ने मोची                                                          | ५   |  |
| <b>च) परम्परागत सीप सँग सम्बन्धित व्यवसाय</b>        |                                                                                       |     |  |
| १                                                    | धातुका भाँडा कुँडा बेच्ने पसल                                                         | ५०  |  |
| २                                                    | माटाका भाँडा बेच्ने पसल                                                               | २०  |  |
| ३                                                    | कूचो, कुत्तीया, डोको, नांग्लो, घुम, ढाकि, मान्द्रो, भल्ला बेच्ने पसल (कुनै एक वा सबै) | २५  |  |

|                                                            |                                                                                                         |       |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४                                                          | गरगहना पसल (सुन तथा अन्य धातुका)                                                                        | १००   |                                                                                                   |
| ५                                                          | चट्टिट, भल्ला विक्री गर्ने पसल                                                                          | २५    |                                                                                                   |
| ६                                                          | राडि, पाखि, गलैचा विक्री गर्ने पसल                                                                      | १००   |                                                                                                   |
| <b>छ) वीउवीजन तथा विरुवा बेच्ने पसल</b>                    |                                                                                                         |       |                                                                                                   |
| १                                                          | वीउवीजन                                                                                                 | २०    |                                                                                                   |
| २                                                          | फलफूलका विरुवा                                                                                          | २०    |                                                                                                   |
| ३                                                          | फुलका विरुवा                                                                                            | २०    |                                                                                                   |
| ४                                                          | साग सब्जीका विरुवा                                                                                      | २०    |                                                                                                   |
| <b>च) पशुपक्षी विक्री सँग सम्बन्धित(साना तथा ठूला सवै)</b> |                                                                                                         |       |                                                                                                   |
| १                                                          | जिउँदो खसी, बोका, बाखा, भेडा च्यांग्रा बेच्नेलाई प्रतिगोटा                                              | ५०    | एउटा मात्र हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई कर नलाग्ने                                               |
| २                                                          | गाई, गोरु, राँगा, भैसी, घोडा, गधा लगायत प्रतिगोटा                                                       | १००।० |                                                                                                   |
| ३                                                          | सुँगुर बंगुर प्रतिगोटा                                                                                  | ५०    |                                                                                                   |
| ४                                                          | हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई एकमुष्ट                                                                   | १०    |                                                                                                   |
| <b>छ) अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित कर</b>                     |                                                                                                         |       |                                                                                                   |
| १                                                          | चुरा,पोते, धागो, टीका, ऐना, सुँगार तथा मनिहारी र कस्मेटिक सँग सम्बन्धित (कुनै एक वा सवै प्रकारका वस्तु) | २०    | नोट: माथि नपरेको व्यवसायको हकमा गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी रु २० देखि रु २०० सम्म लिन सक्नेछ । |
| २                                                          | फोटो खिच्ने, फोटो फ्रेमबनाउने                                                                           | ४०।०  |                                                                                                   |
| ३                                                          | मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली,                                                                           | २०।०  |                                                                                                   |
| ४                                                          | जुम्रा, उडुस मार्ने औषधि बेच्ने                                                                         | १०    |                                                                                                   |
| ५                                                          | खेल, तमासा देखाउने लाई                                                                                  | १०    |                                                                                                   |
| ६                                                          | प्रचार, प्रसार गरी व्यवसाय गर्ने                                                                        | १०    |                                                                                                   |
| ७                                                          | बाँस प्रति ट्याक्टर                                                                                     | १००   |                                                                                                   |
| ८                                                          | बाँस प्रति ट्रक                                                                                         | २००   |                                                                                                   |
| ९                                                          | खटियामा सामान राखी बेच्ने                                                                               | २५    |                                                                                                   |
| १०                                                         | फलामकाऔजार तथा सामान बेच्ने                                                                             | २०    |                                                                                                   |

|      |                                              |    |  |
|------|----------------------------------------------|----|--|
| ११   | भाँडाकुडा पसल                                | ५० |  |
| १२   | फोटो फ्रेमिङ                                 | ३० |  |
| १३   | घडी विक्रीपसल                                | ५० |  |
| १४   | हाते सिलाई मेसिनपसल (प्रतिसिलाई मेसिन)       | २५ |  |
| १५   | तस्विर, पत्रपत्रीकातथा पुस्तकविक्री पसल      | २५ |  |
| १६   | मर्मत सम्भार                                 |    |  |
| १६.१ | कुकर, लाईट, छाता आदी मर्मत                   | २० |  |
| १६.२ | रेडियो, घडी, टेलिभिजन लगायत मर्मत            | ५० |  |
| १६.३ | साईकल तथा मोटर साईकल मर्मत                   | २५ |  |
| १६.४ | जुताचप्पल सिउने तथा मर्मत गर्ने              | २० |  |
| १६.५ | अन्य प्रकारका मर्मत सम्भार संग सम्बन्धित पसल | ५० |  |
| १७   | पान, सुर्ति, चुरोट, बिडि, खैनी लगायत         | ५० |  |
| १८   | सेलुन                                        |    |  |
| १८.१ | कपाल तथा दारी काट्नेलाई (कुर्सी राखेर)       | ३० |  |
| १८.२ | कपाल तथा दारी काट्ने (पिरामा राखेर)          | २० |  |
| १९   | खेलौना तथा मनोरञ्जनका साधन विक्री गर्ने पसल  | ५० |  |

#### अनुसूची-४

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

बागमती गाउँपालिका, ललितपुरले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउँने व्यवसाय दर्ता, नविकरण, नामसारी, स्थानान्तरण, वार्षिक कर शुल्कका दरहरू

#### २. कर तथा राजश्व

| क्र.सं. | व्यापारिक वस्तु                           | लागत पूँजी | दर्ता दस्तुर | नवीकरण दस्तुर/वार्षिक कर | नामसारी तथा नाम परिवर्तन दस्तुर | स्थानान्तरण दस्तुर | कैफियत |
|---------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| १       | चिया तथा कफी उद्योग तथा फर्म (मेसिन राखी) |            | १००००        | ५०००                     | २५०                             | ५००                |        |

|   |                                                                                            |                               |       |      |     |      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|-----|------|--|
|   | प्रशोधन समेत<br>गर्ने)                                                                     |                               |       |      |     |      |  |
| २ | निर्माण सामग्री ( ईटा, टायल, सिमेण्ट पोल, ह्यूमपाईप, फलामे रड, तारजाली उत्पादन गर्ने समेत) | रू. १ लाख देखि ५ सम्म         | १०००  | ५००  | २५० | ५००  |  |
|   |                                                                                            | रू.५ लाख १ देखि २० लाख सम्म   | १५००  | ७५०  | ३५० | ५००  |  |
|   |                                                                                            | रू. २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २०००  | १००० | ४५० | ५००  |  |
|   |                                                                                            | रू. ५० लाख भन्दा माथि         | ३०००  | १५०० | ५०० | ७००  |  |
| ३ | चक उद्योग, खनिज उद्योग                                                                     | रू. १ लाख देखि ५ सम्म         | २०००  | १००० | २०० | ५००  |  |
|   |                                                                                            | रू.५ लाख १ देखि २० सम्म       | ३०००  | १५०० | २५० | ५५०  |  |
|   |                                                                                            | २० लाख १ देखि ५० लाख सम्म     | ५०००  | ३००० | ३०० | ७००  |  |
|   |                                                                                            | रू. ५० लाख भन्दा माथि         | १०००० | ५००० | ५०० | १००० |  |
| ४ | फिनेल उद्योग, निर उद्योग, विभिन्न क्यामिकल उत्पादन गर्ने उद्योग                            | रू. १ लाख देखि ५ सम्म         | २५००  | १००० | ३०० | ५००  |  |
|   |                                                                                            | रू.५ लाख १ देखि २० सम्म       | ३५००  | २००० | ५०० | ७५०  |  |
|   |                                                                                            | रू.२० लाख १ देखि ५० लाख       | ५०००  | ३५०० | ७५० | १००० |  |

|   |                                                                                                                                                                |                                     |       |      |      |      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|--|
|   |                                                                                                                                                                | सम्म                                |       |      |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. ५० लाख<br>भन्दा माथि            | १०००० | ७००० | १००० | १५०० |  |
| ५ | मिश्री, चकलेट<br>उद्योग, पापड<br>चिप्स उद्योग,<br>पाउरोटी उद्योग,<br>बरफ उत्पादन, डेरी<br>उत्पादन,<br>चिनी उद्योग                                              | रु. १ लाख देखि<br>५ सम्म            | २०००  | १५०० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. ५ लाख १<br>देखि २० सम्म         | ३०००  | २००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. २० लाख १<br>देखि ५० लाख<br>सम्म | ७०००  | ५००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. ५० लाख<br>भन्दा माथि            | १०००० | ७००० |      |      |  |
| ६ | उर्जामूलक तथा<br>सौर्य उर्जा उत्पादन                                                                                                                           | रु. १ लाख देखि<br>५ सम्म            | २०००  | १००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. ५ लाख १<br>देखि २० सम्म         | ३०००  | २००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. २० लाख १<br>देखि ५० लाख<br>सम्म | ७०००  | ५००० |      |      |  |
| १ |                                                                                                                                                                | रु. ५० लाख<br>भन्दा माथि            | १०००० | ७००० |      |      |  |
| ७ | दाना उद्योग, औषधि<br>उद्योग,<br>उत्पादनमूलक उद्योग<br>को डिपो, भुल तथा<br>पर्दा उत्पादन, काष्ठ<br>उद्योग, डोरी, डब्बा,<br>वाल्टीन आदि वन<br>उद्योग,<br>लगायतका | रु. १ लाख देखि<br>५ सम्म            | २०००  | १००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. ५ लाख १<br>देखि २० सम्म         | ३०००  | २००० |      |      |  |
|   |                                                                                                                                                                | रु. २० लाख १                        | ६०००  | ४००० |      |      |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                    |  |  |                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|-------------------------------------------|
|                                 | उद्योगहरूको हकमा ।                                                                                                                                                                                                          | देखि ५० लाख सम्म      |                             |                    |  |  |                                           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                             | रु. ५० लाख भन्दा माथि | १००००                       | ७०००               |  |  |                                           |
| ८. कुटानी पिसानीउद्योग ब्यावसाय |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                    |  |  |                                           |
| १                               | कुटानी तथा पिसानी मात्र                                                                                                                                                                                                     |                       | ३००                         | १५०                |  |  |                                           |
| २                               | कुटानी, पिसानी तथा पेलानी समेत                                                                                                                                                                                              |                       | ५००                         | २५०                |  |  |                                           |
| ३                               | कुटानी, पिसानी, पेलानी र चिउरा समेत                                                                                                                                                                                         |                       | ७००                         | ३५०                |  |  |                                           |
| ४                               | कुटानी, पिसानी, पेलानी, चिउरा र मसलाजन्य पदार्थ समेत                                                                                                                                                                        |                       | ८००                         | ४५०                |  |  |                                           |
| ५                               | कुटानी, पिसानी, पेलानी, तथा विक्रीवितरण समेत                                                                                                                                                                                |                       | १०००                        | ५००                |  |  |                                           |
| ९. उत्पादन मूलक उद्योग          |                                                                                                                                                                                                                             |                       |                             |                    |  |  |                                           |
|                                 | अर्ध प्रशोधित मालवा खेर गईरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो: खेर गईरहेको प्लास्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा व्यवसायको लगानी हेरी |                       | रु. १००० देखि रु. ५००० सम्म | ५०० देखि २५०० सम्म |  |  | गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी |
| १०                              | ग्रिल उद्योग                                                                                                                                                                                                                | रु. १ लाख             | १५००                        | ७५०                |  |  |                                           |

|  |  |                                    |      |      |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|------|------|--|--|--|
|  |  | देखि ५ सम्म                        |      |      |  |  |  |
|  |  | रु.५ लाख<br>१ देखि २०<br>सम्म      | २००० | १००० |  |  |  |
|  |  | रु.२० लाख<br>१ देखि ५०<br>लाख सम्म | ३००० | १५०० |  |  |  |
|  |  | रु. ५०<br>लाख भन्दा<br>माथि        | ५००० | ३००० |  |  |  |

|    |                                                                                                                                           |                              |      |      |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|--|--|
| ११ | चुरोट तथा रक्सी जन्य पदार्थ, हार्डवेयर र ज्वेलर्स सँग सम्बन्धित बस्तुहरुको व्यापार व्यवसाय (मदिरा र कोल्ड ड्रिक्स सहितको किराना पसल समेत) | रु. १ लाख देखि ५ सम्म        | १००० | ५००  |  |  |
|    |                                                                                                                                           | रु.५ लाख १ देखि २० सम्म      | २००० | १००० |  |  |
|    |                                                                                                                                           | रु.२० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | ३००० | १५०० |  |  |
|    |                                                                                                                                           | रु. ५० लाख भन्दा माथि        | ६००० | ३००० |  |  |
| १२ | क्यामेरा, टेलीभिजन, चस्मा लगायतका विद्युतीय सामग्री (सिडीप्लेयर्स, कम्प्युटर सामग्री समेतका व्यवसायहरु)                                   | रु. १ लाख देखि ५ सम्म        | ५००  | ३००  |  |  |
|    |                                                                                                                                           | रु.५ लाख १ देखि २० सम्म      | ७००  | ४००  |  |  |

|    |                                                                               |                                     |       |      |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|--|--|
|    |                                                                               | रू. २० लाख<br>१ देखि ५०<br>लाख सम्म | १०००  | ७००  |  |  |
|    |                                                                               | रू. ५० लाख<br>भन्दा माथि            | २०००  | १००० |  |  |
| १३ | मोटरपार्टस्,<br>मोटरसाईकल, मिल,<br>मेशिनरी, आदि                               | रू. १ लाख<br>देखि ५ सम्म            | ७००   | ४००  |  |  |
|    |                                                                               | रू. ५ लाख १<br>देखि २०<br>सम्म      | १०००  | ५००  |  |  |
|    |                                                                               | रू. २० लाख<br>१ देखि ५०<br>लाख सम्म | १५००  | ७५०  |  |  |
|    |                                                                               | रू. ५० लाख<br>भन्दा माथि            | २०००  | १००० |  |  |
| १४ | बस, ट्रक, ट्र्याक्टर,<br>कार जीप, भेन तथा<br>अटोमोबाइल्सका<br>पार्टस व्यावसाय | रू. ५ लाख<br>देखि १०<br>सम्म        | २०००  | १००० |  |  |
|    |                                                                               | रू. १० लाख<br>१ देखि ५०<br>सम्म     | ३०००  | १५०० |  |  |
|    |                                                                               | रू. ५० लाख<br>१ देखि १<br>करोड सम्म | ५०००  | ३००० |  |  |
|    |                                                                               | रू. १ करोड<br>भन्दा माथि            | १०००० | ७००० |  |  |
| १५ | किताव, कापी तथा<br>स्टेशनरी संग सम्बन्धित                                     | रू. ५० हजार                         | ३००   | २००  |  |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                    |                               |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--|--|
|                                                           | व्यवसाय (औषधि पसल र किराना व्यवसाय समेतको हकमा)                                                                                                                                    | सम्म                          |      |      |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु.५० हजार १ देखि ५ लाख सम्म  | ५००  | ३००  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु.५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म   | १००० | ५००  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु. २५ लाख भन्दा माथि         | १५०० | ७५०  |  |  |
| १६                                                        | कृषिसंग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा ( कृषि फार्म, गाई पालन, सुँगुर पालन, बाख्रा पालन व्यवसाय आदि तथा कृषि सामग्री, औजार, मल, विउ, गाई दाना, चोकर, कुखुराको दाना, पशुपंक्षी आहार समेत) | रु. १ लाख सम्म                | ३००  | २००  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु. १ लाख १ देखि १० लाख सम्म  | १००० | ५००  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु. १० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | २००० | १००० |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                                                    | रु. ५० लाख भन्दा माथि         | ४००० | २००० |  |  |
| ड) निजी शिक्षण संस्था दर्ता लगायत अन्य कामका लागि सिफारिस |                                                                                                                                                                                    |                               |      |      |  |  |
| १                                                         | पूर्व प्राथमिक                                                                                                                                                                     | २०००।०                        |      |      |  |  |
| २                                                         | आधारभूत तह                                                                                                                                                                         | ५०००।०                        |      |      |  |  |
| ३                                                         | माध्यमिक                                                                                                                                                                           | ७५००।०                        |      |      |  |  |
| ४                                                         | उच्च मावि                                                                                                                                                                          | १५०००।०                       |      |      |  |  |
| ५                                                         | क्याम्पस                                                                                                                                                                           | २००००।०                       |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                 |                                                                |                           |      |      |  |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|--|-------------------------------------------|
| ६                                                                                                                                               | प्राविधिक शिक्षण संस्था                                        | १००००१०                   |      |      |  |                                           |
| १७ संकलन/ विकि केन्द्र (संकलन केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहमा उत्पादित बस्तु संकलन र सञ्चय मात्र गर्ने वा संकलन र सञ्चय गरी विक्री समेत गर्ने) |                                                                |                           |      |      |  |                                           |
| १                                                                                                                                               | धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर लगायतका अन्न बाली                   |                           | १००० | ५००  |  |                                           |
| २                                                                                                                                               | अन्न बालिका साथमा वा अलग्गै दालहन, तेलहन बाली                  |                           | २००० | १००० |  |                                           |
| ३                                                                                                                                               | दुध तथा दूध उत्पादन                                            |                           | १००० | ५००  |  |                                           |
| ४                                                                                                                                               | फलफूल तथा तरकारी                                               |                           | ५००  | २५०  |  |                                           |
| ५                                                                                                                                               | अन्य (प्रकृति हेरी)                                            |                           | ५००  | ३००  |  | गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी |
| १७                                                                                                                                              | सिसा, फ्रेमिड, कार्पेट, सजावटका सामान र जनरल गुड्स आदि व्यवसाय | १ लाख सम्म                | ३००  | २००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | १ लाख १ देखि १० लाख सम्म  | ५००  | ३००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | १० लाख १ देखि २० लाख सम्म | १००० | ५००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | २० लाख देखि माथि          | १५०० | ७५०  |  |                                           |
| १८                                                                                                                                              | सुती कपडा, रेडिमेड कपडा आदि व्यवसाय                            | रु. १ लाख देखि ५ सम्म     | ५००  | ३००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | रु.५ लाख १ देखि २० सम्म   | ७००  | ४००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | रु.२० लाख १ देखि ५० सम्म  | १००० | ५००  |  |                                           |
|                                                                                                                                                 |                                                                | रु.५० लाख भन्दा माथि      | २००० | १००० |  |                                           |

|                                  |                                                   |                               |      |      |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|--|--|
| १९                               | छापाखाना, प्रेस, स्क्रिन प्रिन्टर्स, आदि व्यावसाय | रु. १ लाख देखि रु. ५ लाख सम्म | ४००  | २००  |  |  |
|                                  |                                                   | रु.५ लाख १ देखि २० लाख सम्म   | ७००  | ३००  |  |  |
|                                  |                                                   | रु.२० लाख १ देखि ५० लाख सम्म  | १००० | ५००  |  |  |
|                                  |                                                   | रु.५० लाख भन्दा माथि          | १५०० | ७००  |  |  |
| २०                               | टेलि चलचित्र, बृत्तचित्र निर्माण व्यवसाय          | रु. १ लाख देखि रु. ५ लाख सम्म | १५०० | ७००  |  |  |
|                                  |                                                   | रु.५ लाख १ देखि २० लाख सम्म   | २००० | १००० |  |  |
|                                  |                                                   | रु.२० लाख १ देखि ५० लाख सम्म  | २५०० | १५०० |  |  |
|                                  |                                                   | रु.५० लाख भन्दा माथि          | ३००० | २००० |  |  |
| २१ अन्य वर्गीकरण नखुलेका व्यवसाय |                                                   |                               |      |      |  |  |
| १                                | आलु प्याज, हरियो तरकारी, फलफूल थोक विक्री         |                               | ५००  | ३००  |  |  |
| २                                | खुद्रा तरकारी, फलफूल, पान पसल                     |                               | ३००  | २००  |  |  |

[illegible]



|                                                                   |                                                 |       |      |     |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-------------------|
| १                                                                 | सानो ग्रामीण स्तरको चिया पसल                    | १०००  | ५००  |     |     |                   |
| २                                                                 | खाना मात्र विक्री गर्ने होटल                    | २०००  | १००० |     |     |                   |
| ३                                                                 | ५० हजार सम्म लगानी भएको                         | ५००   | २००  |     |     |                   |
| ४                                                                 | ५० हजार १ देखि १ लाख सम्म लगानी भएको            | ६००   | ३००  |     |     |                   |
| ५                                                                 | १ लाख देखि १ लाख २ लाख सम्म लगानी भएको          | ७००   | ३५०  |     |     |                   |
| ६                                                                 | २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म लगानी भएको              | ८००   | ४००  |     |     |                   |
| ७                                                                 | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म लगानी भएको             | १०००  | ५००  |     |     |                   |
| ८                                                                 | २० लाख भन्दा बढी लगानी भएको                     | २०००  | १००० |     |     |                   |
| ९                                                                 | रिसोर्टहरूको हकमा                               | ३०००  | १५०० |     |     |                   |
| १०                                                                | तारे होटलहरूको हकमा                             | ५०००  | २५०० |     |     |                   |
| ११                                                                | होम स्टे                                        | १००   | ५०   | १०० | १०० |                   |
| २७. संचार सेवा (एफ एम रेडियो तथा रेडियो वा टेलिभिजन प्रसारण समेत) |                                                 |       |      |     |     |                   |
| १                                                                 | पत्रपत्रिका वितरक                               | १५०   | ७५   |     |     |                   |
| २                                                                 | पत्रिका प्रकाशक                                 | १०००  | ५००  |     |     |                   |
| ३                                                                 | एफ.एम.रेडियो प्रसारण                            | १५००  | ७५०  |     |     |                   |
| ४                                                                 | केवल नेटवर्क र इन्टरनेट नेटवर्क                 |       |      |     |     |                   |
| ४.१                                                               | ५०० सम्म ग्राहक भएको                            | १०००  | ५००  |     |     |                   |
| ४.२                                                               | ५०० देखि १००० सम्म ग्राहक भएको                  | २०००  | १००० |     |     |                   |
| ४.३                                                               | १००० भन्दा माथि ग्राहक भएकाको हकमा प्रति ग्राहक | २१०   | ११०  |     |     |                   |
| ८                                                                 | मोबाईल टावर टूलो                                | १५००० |      |     |     | टूलो टावर भन्नाले |

|                                                                  |                                                     |       |       |  |  |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९                                                                | सानोको हकमा                                         | १०००० |       |  |  | घरको छतमा राखिएका टावरहरूलाई जनाउने छ भने दुई तल्ले घर सम्मको उचाई भएका जमिनमा राखिएका टावरहरूलाई समेत ठूलो टावरको रुपमालिईने छ । |
| २८. वित्तीय सेवा (बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य तथा शाखा समेत) |                                                     |       |       |  |  |                                                                                                                                   |
| १                                                                | क वर्गका बैंक                                       | २०००० | १०००० |  |  |                                                                                                                                   |
| २                                                                | ख वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक                | १५००० | ७०००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ३                                                                | ख वर्गका क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तरका विकास बैंक     | ७०००  | ३५००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ४                                                                | ग वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्था            | ७०००  | ३५००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ५                                                                | ग वर्गका क्षेत्रीय तथा प्रदेश स्तरका वित्तीय संस्था | ५०००  | २५००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ६                                                                | लघुवित्त संस्था                                     | ३०००  | १५००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ७                                                                | मनि ट्रान्सफर                                       | २५००  | १२००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ८                                                                | विमा कम्पनी                                         | १०००० | ५०००  |  |  |                                                                                                                                   |
| ९                                                                | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था                            |       |       |  |  | बचत तथा ऋणको कारोवार नगरी पूर्णतया कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा वार्षिक शुल्क १००।० मात्र लाग्नेछ ।                                |
| ९.१                                                              | १ करोड सम्म कारोवार ( वासालत) भएका सहकारी           | २०००  |       |  |  |                                                                                                                                   |
| ९.२                                                              | १ करोड १ देखि ३ करोड सम्म ( वासालत) भएका सहकारी     | २५००  |       |  |  |                                                                                                                                   |
| ९.३                                                              | ३ करोड १ देखि ५ करोड सम्म ( वासालत) भएका सहकारी     | ३०००  |       |  |  |                                                                                                                                   |
| ९.४                                                              | ५ करोड भन्दा माथि ( वासालत) भएका सहकारी             | ३५००  |       |  |  |                                                                                                                                   |

| २९. स्वास्थ्य सेवा: अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा ल्यावहरू लगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यवसायहरू (लगानीका आधारमा) |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| १                                                                                                                           | ५ लाख सम्मको लागि                                                                                                                                                                 | १०००  | ५००  |  |  |  |
| २                                                                                                                           | ५ लाख १ देखि २० लाख सम्म                                                                                                                                                          | २५००  | १३०० |  |  |  |
| ३                                                                                                                           | २० लाख १ देखि १ करोड सम्म                                                                                                                                                         | ४०००  | २००० |  |  |  |
| ४                                                                                                                           | १ करोड १ देखि ५ करोड सम्म                                                                                                                                                         | ७०००  | ३५०० |  |  |  |
| ५                                                                                                                           | ५ करोड देखि माथि                                                                                                                                                                  | १०००० | ५००० |  |  |  |
| ३०. मर्मत सेवा                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
| १                                                                                                                           | टेक्टर, बस, ट्रक, हेवी इक्विपमेन्ट, कार, जीप, सवारी डेन्टिङ मोटर पार्टस, मिलमेशीनरी, एयरकुलर, टायर रिसोलिङ, डाईनामाईट                                                             | २५००  | १३०० |  |  |  |
| २                                                                                                                           | मोटर रिवाइन्डिङ समेतको इलेक्ट्रिकका सामान                                                                                                                                         | १५००  | ७५०  |  |  |  |
| ३                                                                                                                           | मोटरसाईकल                                                                                                                                                                         | १०००  | ५००  |  |  |  |
| ४                                                                                                                           | रेडियो घडि टिभी आदि इलेक्ट्रोनिकस सामान                                                                                                                                           | ५००   | २५०  |  |  |  |
| ५                                                                                                                           | ग्यासचुल्हो, पम्प, टायरट्यूव पम्पर, ग्यास वाल्विङ, वक्सा मर्मत गर्ने, साइकल, रिक्सा, , लुगा सिउने मेशिन, फोटोकपी मेशिन, व्याग लगायत अन्य                                          | ५००   | २५०  |  |  |  |
| ३१. तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरू                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                             | तालिम तथा अनुसन्धान, कम्प्युटर टाईपिङ, लगायत फोटो कपी समेत संचालन भई काम गर्ने हरूको हकमा, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्र वाट दिइने शिक्षा सेवा तथा कोचिङसेन्टर आदि । | ५००   | २५०  |  |  |  |

| ३२. अन्य सेवा |                                                               |       |      |  |  |          |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|----------|
| १             | वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्था हाउजिङ कम्पनी                 | ५०००  | २५०० |  |  |          |
| २             | उद्योग, संघसस्था आदिमा स्वदेशको लागि जनशक्ति सप्लाई गर्ने     | १५००  | ७५०  |  |  |          |
| ३             | कलर ल्याव                                                     | १०००  | ५००  |  |  |          |
| ४             | घरजग्गा खरिद विक्री व्यवसाय                                   | १०००० | ५००० |  |  |          |
| ५             | विज्ञापन सेवा, फोटो स्टुडियो                                  | १०००  | ५००  |  |  |          |
| ६             | व्युटी पार्लर, केश श्रृंगार, साईनबोर्ड, पेन्टिङ सैलुन, नर्सरी | १०००  | ५००  |  |  |          |
| ७             | मासु (खसी, कुखुरा, राँगा, बंगुर आदि) खुद्रा विक्रेता          | ७००   | ५००  |  |  |          |
| ८             | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) थोक विक्रेता              | २०००  | १००० |  |  |          |
| ९             | पञ्चेवाजा                                                     | ०।०   |      |  |  | निःशुल्क |
| १०            | वैण्ड वाजा                                                    | १०००  |      |  |  |          |
| ११            | शितभण्डार                                                     | ३०००  |      |  |  |          |
| १२            | टेण्ट हाउस                                                    | १०००  | ५००  |  |  |          |
| १३            | हाफ क्याटरीङ                                                  | १०००  | ५००  |  |  |          |
| १४            | साईवर क्याफे                                                  | १०००  | ५००  |  |  |          |
| १५            | एगोभेट                                                        | ५००   | २५०  |  |  |          |

|      |                                                                                                 |       |       |  |  |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------|
| १६   | कवाडी पसल थोक                                                                                   | १०००  | ५००   |  |  |                         |
| १७   | कवाडी पसल खूद्रा                                                                                | १०००  | ५००   |  |  |                         |
| १८   | हुवानी सेवा शाखा भएका                                                                           | २०००  | १०००  |  |  |                         |
| १९   | हुवानी सेवा शाखा नभएको                                                                          | १५००  | ७५०   |  |  |                         |
| २०   | सेटरीङ व्यवसाय                                                                                  | २०००  | १०००  |  |  |                         |
| २१   | १ मेसिन राखी कपडा सिलाई गर्ने                                                                   | २००   | १००   |  |  | थप १ मेसिन बराबर रु १०० |
| २२   | खाद्यान्न सम्बन्धी कांटा व्यवसाय १० लाख सम्म                                                    | १०००  | ५००   |  |  |                         |
| २२.१ | ५० लाख सम्म                                                                                     | ३०००  | १५००  |  |  |                         |
| २२.२ | ५० लाख भन्दा माथि                                                                               | ५०००  | २५००  |  |  |                         |
| २३   | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प २ वटा सम्म मेसिन भएको                                             | ५०००० | २५००० |  |  | प्रति मेसिन थप रु २०००  |
| २४   | ग्यास विक्री डिलर                                                                               | १०००  | ५००   |  |  |                         |
| २५   | भाडा वर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना, फेन्सी समेत खूद्रा विक्रेता | १०००  | ५००   |  |  |                         |
| २६   | भाँडा वर्तन, जुत्ता चप्पल, कस्मेटिक, मनिहारी, हेल्थ केयर, कृतिम गहना, फेन्सी समेत थोक विक्रेता  | २०००  | १०००  |  |  |                         |
| २७   | डिपार्टमेन्ट स्टोर रेष्टुरेन्ट बेकरी सहितको                                                     | ५०००  | २५००  |  |  |                         |

|                                 |                                                |                                  |      |                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| २८                              | डिपार्टमेन्ट स्टोर                             | ३०००                             | १५०० |                                                                                                                                   |  |  |
| ३३. स्वास्थ्य सरसफाई सेवा शुल्क |                                                |                                  |      |                                                                                                                                   |  |  |
| क्र.सं.                         | विवरण                                          | आ.व. २०७९।०८० को लागि प्रस्तावित |      | कैफियत                                                                                                                            |  |  |
| १                               | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा दिसा गरेको           | ५                                |      | PPP को माध्यमबाट सञ्चालन व्यवस्थापन हुने भएमा गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुने गरी |  |  |
| २                               | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा पिसाव गरेको          | ५                                |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ३                               | फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क प्रति घर मासिक | ५०                               |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ४                               | ब्यापार व्यवसाय (प्रति व्यवसाय)                | ५००                              |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ५                               | उद्योग कलकारखाना (साना उद्योग)                 | १०००                             |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ६                               | उद्योग कलकारखाना (मझौला उद्योग)                | २०००                             |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ७                               | उद्योग कलकारखाना (ठूला उद्योग)                 | ३०००                             |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ८                               | अन्य विविध सेवा शुल्क (सेवाको प्रकृति हेरी)    | रु ५०० देखि २००० सम्म            |      |                                                                                                                                   |  |  |
| ३४. अन्य सेवा शुल्क             |                                                |                                  |      |                                                                                                                                   |  |  |
| १                               | अचल सम्पत्ति मुल्यांकन सेवा शुल्क प्रति लाख    | ०.२५                             |      |                                                                                                                                   |  |  |
| २                               | आयश्रोत मूल्यांकन प्रमाणित शुल्क प्रतिलाख      | रु.०.२०                          |      |                                                                                                                                   |  |  |

**नोट:**

- माथि उल्लेखित किसिम, उपर्युक्त शीर्षकमा नपरेको सेवा, व्यवसाय र उद्योग दर्ता हुन आएमा सेवा, व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथिको कर दरमा नघट्ने गरी वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाणपत्र दिईने छ ।
- गाउँपालिकामा दर्ता भई संचालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदि लाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकतानुसार निरीक्षण गरी विगत वर्षको लाने दस्तुर र जरिवाना समेत असुल गरी व्यवसाय बन्द सिफारिस दिईनेछ । र सोको विवरण छुट्टै फायल खडा गरी अध्यावधिक गरी राखिने छ ।
- गाउँपालिकालाई आवश्यक परेमा (व्यवसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा) निजको व्यवसायको कारोवारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा अन्तःशुल्क कार्यालय वाट कारोवार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिने छ साथै गाउँपालिकाले तोकेको कर्मचारी बाट निरीक्षण गरी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कर तय गरिनेछ ।
- यसकार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क र भाडा आदि जस्ता राजस्व बुझाउन वांकी रहेमा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका सेवा प्रवाह वाट बञ्चित गर्न सकिनेछ ।

६ अन्य वांकी करहरूका हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको परिधिभित्र रही गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ, जुन सामान्यतया कारोबारको स्तर हेरी वार्षिक रु. ५०० देखि ५००० सम्म हुनेछ । बक्यौता व्यवसाय करमा १० प्रतिशत दण्ड जरीवाना तोकिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा प्रदान गरिने सेवा तथा परीक्षणको लागि लाग्ने शुल्क :

| सि.नं. | सेवा तथा परीक्षणको विवरण         | दस्तुर    |
|--------|----------------------------------|-----------|
| १      | इसिजी सेवा                       | रु. ५०१-  |
| २      | एक्स्टे छातीको                   | रु. १५०१- |
| ३      | एक्स्टे छाती बाहेक अन्य भाग      | रु. २००१- |
| ४      | रगत परीक्षण सिविसी               | रु. ८०१-  |
| ५      | ब्लड सुगर                        | रु. ३५१-  |
| ६      | विलिरुबिन                        | रु. ८०१-  |
| ७      | युरिक एसिड                       | रु. ८०१-  |
| ८      | क्रेयाटिनिड                      | रु. ८०१-  |
| ९      | विडाल                            | रु. १२०१- |
| १०     | ब्लड ग्रुपिड                     | रु. २५१-  |
| ११     | टिपिएचए                          | रु. ८०१-  |
| १२     | एच वि (SAG)                      | रु. ११०१- |
| १३     | आर ए फ्याक्टर                    | रु. ११०१- |
| १४     | प्रेग्नेन्सी टेष्ट               | रु. ५५१-  |
| १५     | युरिन R/E                        | रु. ३०१-  |
| १६     | स्टुल R/E                        | रु. ३०१-  |
| १७     | एच बी                            | रु. ३०१-  |
| १८     | ईई एस आर                         | रु. ३०१-  |
| १९     | Occult ब्लड                      | रु. ८०१-  |
| २०     | युरिन यरिष्टीक (सुगर र आल्बुमिन) | रु. ३०१-  |
| २१     | एच वि सी                         | रु. १२०१- |
| २२     | टी सी                            | रु. २५१-  |
| २३     | डी सी                            | रु. २५१-  |
| २४     | बी टी                            | रु. २५१-  |
| २५     | सी टी                            | रु. २५१-  |
| २६     | टी जी                            | रु. १२०१- |
| २७     | कोलिष्टोरल                       | रु. १२०१- |

६८. एम्बुलेन्स सेवा -

क. गाउँपालिका भित्रको नागरिकको हकमा - रु ३० प्रति कि.मी.

ख. गाउँपालिका बाहिरको नागरिकको हकमा - रु ६० प्रति कि.मी.

सवारी दर्ता, वार्षिक तथा पटके सवारी कर

| क.सं. | विवरण                                  | आ.व.<br>२०७९/२०८०<br>का लागि<br>प्रस्तावित<br>रु | कैफियत |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
|       | क) सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता शुल्क |                                                  |        |

|                                                 |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १                                               | मोटरसाईकल, स्कुटर                                                                                  | ५०   | गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेको हकमा मात्र                                                                                                                       |
| २                                               | सिटि रिक्सा                                                                                        | ५००  |                                                                                                                                                                           |
| ३                                               | रिक्सा तथा ठेला                                                                                    | १००  |                                                                                                                                                                           |
| <b>ख) वार्षिक सवारी कर</b>                      |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |
| १                                               | निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, टयांक्टर, लहरी लगायतका हेमि सवारी तथा ढुवानीका साधनमा                    | १००० | वागमर्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गर्ने नागरिक तथा सस्थाको हकमा मात्र वार्षिक सवारी साधन कर लिईने छ । वार्षिक सवारी कर बुझाउनेको हकमा पटके सवारी कर लिईने छैन । |
| २                                               | निजी तथा भाडाका मिनी बस, मिनी ट्रक लगायतका मध्यम स्तरका सवारी तथा ढुवानीका साधन                    | १५०० |                                                                                                                                                                           |
| ३                                               | भाडाका कार, जीप, भेन                                                                               | १००० |                                                                                                                                                                           |
| ४                                               | भाडाको टेम्पो, सिटि रिक्सा लगायतमा                                                                 | ५००  |                                                                                                                                                                           |
| ५                                               | निजी कार, जीप, भेन तथा मिनीबस                                                                      | ७५०  |                                                                                                                                                                           |
| ६                                               | मोटरसाईकल, स्कुटर लगायतका अन्य                                                                     | ५०   |                                                                                                                                                                           |
| ७                                               | रिक्सा, ठेलागाडा, टायर गाडा, गोरुगाडा, रांगा गाडा लगायतमा                                          | २५   |                                                                                                                                                                           |
| ६                                               | वार्षिक सवारी कर बुझाउने सवारी धनीले पाउने परिचय पत्र (वार्षिक रुपमानवीकरण गर्नुपर्नेछ) को शुल्क । | १००  |                                                                                                                                                                           |
| <b>ग) पटके सवारी कर (प्रति पटककालागि मात्र)</b> |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |
| <b>ग.१ स्वदेशी नं. प्लेट भएका</b>               |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |
| १                                               | निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, ट्रिपरमा                                                                 | ४०   | <ul style="list-style-type: none"> <li>सरकारी तथा कुटनैतिक नियोगका सवारीका साधन तथा दमकल र एम्बुलेन्समा पटके सवारी कर लाग्ने छैन</li> <li></li> </ul>                     |
| २                                               | निजी तथा भाडाका मिनि बस, साना ट्रक, टयांक्टरमा                                                     | २०   |                                                                                                                                                                           |
| ३                                               | निजी तथा भाडाका कार, जीप, भेन                                                                      | २०   |                                                                                                                                                                           |
| ४                                               | निजी तथा भाडाका टेम्पो, सिटि रिक्सा तथा सोहि प्रकृतिका अन्य                                        | १०   |                                                                                                                                                                           |
| ५                                               | १० चक्के हेमि सवारी तथा ढुवानीका साधन                                                              | ५०   |                                                                                                                                                                           |
| <b>ग.२ विदेशी नं. प्लेट भएका</b>                |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                           |
| १                                               | निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, ट्रिपरमा                                                                 | ८०   |                                                                                                                                                                           |
| २                                               | निजी तथा भाडाका मिनी बस, साना ट्रक, टयांक्टरमा                                                     | ५०   |                                                                                                                                                                           |
| ३                                               | निजी तथा भाडाका कार, जीप, भेन                                                                      | ४०   |                                                                                                                                                                           |
| ४                                               | निजी तथा भाडाका टेम्पो, सिटि रिक्सा तथा सोहि प्रकृतिका अन्य                                        | २०   |                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ५                             | १० चक्के हेभि सवारी तथा ढुवानीका साधन                                                                                                                                                  | १००                   |                                                             |
| ग.३                           | बागमती गाउँपालिकामा दर्ता नभएका अटोहरूको हकमा                                                                                                                                          | १५                    |                                                             |
| च) प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कर |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                             |
|                               | प्रचलित कानून बमोजिम गाउँपालिकाको अनुमतिले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति, व्यवसाय, उद्योग, फर्म, कम्पनी तथा घांस दाउरा लगायतका बन पैदावरको प्रयोग समेत (प्रति पटक वा एक मुष्ट) | ३०० देखि<br>२००० सम्म | प्रकृति हेरी गाउँ<br>कार्यपालिकाको निर्णय<br>बमोजिमहुने गरी |

अनुसुचि - ५  
दफा ७ सँग सम्बन्धित  
बागमती गाउँपालिका ललितपुरको पार्किङ शुल्क

| क.सं. | विवरण                                                   | प्रति घण्टा<br>कर रु | प्रति<br>दिन रु | कैफियत                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| १     | बस, ट्रक, लरी अन्य हेभी गाडी                            | २०                   | २००             | सवारी पार्किङ स्थान गाउँपालिकाले तोके<br>बमोजिम हुनेछ । |
| २     | माईक्रो,कार अन्य साना गाडी                              | १०                   | ५०              |                                                         |
| ३     | विदेशी बस,ट्रक,लरी अन्य हेभी गाडी                       | ३०                   | ५०              |                                                         |
| ४     | विदेशी माईक्रो, कार अन्य साना गाडी                      | २५                   | ५०              |                                                         |
| ५     | ठेला, रिक्सा, रिक्सा भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटर,<br>मोपेड | ५                    | ५०              |                                                         |

अनुसुचि - ६  
दफा ८ सँग सम्बन्धित  
बागमती गाउँपालिका ललितपुरको जडिबुटी, कवाडी र जिवजन्तु करको दर

| क.सं. | विवरण                                                                                                                                           | दर्ता शुल्क | नविकरण<br>शुल्क | नामसारी<br>तथा नाम<br>परिवर्तन<br>शुल्क | स्थानान्तरण<br>दस्तुर | कैफियत |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|
| १     | कवाडी व्यवसाय                                                                                                                                   | १५०००       | १००००           | १०००                                    | १०००                  |        |
| २     | ऊन खोटो जडिबुटी बनकस<br>व्यवसाय                                                                                                                 | ५००         | ३००             | २००                                     | २००                   |        |
| ३     | प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको<br>जिवजन्तु बाहेकका अन्य मृत<br>वा मारिएको जिवजन्तुको हाड,<br>सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता<br>वस्तुको व्यवसायिक कारोबार | १०००        | ५००             | २५०                                     | २५०                   |        |

अनुसूचि - ७

दफा ९ को उपदफा (१), (२) र दफा १२ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित  
बागमती गाउँपालिका, ललितपुरले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउने सेवा दस्तुर, सिफारिस शुल्क र दण्ड जरिवानाको दर

| क्र.सं. | विवरण                                                   | दर्ता दस्तुर | नविकरण दस्तुर | नामसारी तथा नाम परिवर्तन दस्तुर | स्थानान्तरण दस्तुर | कैफियत |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| १       | केबुलकार                                                | २००००        | ५०००          | २५००                            | २५००               |        |
| २       | ट्रेकिङ                                                 | १०००         | ५००           | ५००                             | ५००                |        |
| ३       | कायोकिङ, क्यानोनिङ बन्जीजम्प, जिपफ्लायर, प्याराग्लाइडिङ | २०००         | १०००          | ५००                             | ५००                |        |

१) दस्तुर तथा सिफारिस शुल्क:

| क्र.सं.           | विवरण                                             | आ.व. २०७८/२०७९ का लागि प्रस्तावित रु | कैफियत                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१.१ दस्तुर</b> |                                                   |                                      |                                                                                                                                                   |
| १.१.१             | सवै प्रकारका सिफारिस दस्तुर                       |                                      |                                                                                                                                                   |
| अ.                | साधारण सिफारिस शुल्क                              | ५०                                   |                                                                                                                                                   |
| आ                 | वैदेशिक प्रयोजनका लागि सिफारिस शुल्क              | १००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.२             | व्यवसाय प्रमाण पत्र दस्तुर (सवै प्रकारका व्यवसाय) | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.३             | नक्सापास किताब दस्तुर                             | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.४             | नक्सापास अभिलेखिकरण दस्तुर                        | ४००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.५             | नाम, उमेर, थर लगायत संसोधन                        | १००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.६             | नाता प्रमाणित                                     | १००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.६.१           | नाता प्रमाणित नेपालीमा                            | १००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.६.२           | नाता प्रमाणित अंग्रेजीमा                          | ३००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.७             | काउन्सुलरको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात प्रमाणित | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.८             | रिक्सा ठेलाको ब्लु बुक दस्तुर                     | ५०                                   |                                                                                                                                                   |
| १.१.८.१           | रिक्सा ठेलादर्ता, नविकरण तथा नामसारी दस्तुर       | २००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.९             | जुनसुकै प्रकारका सरजमिन                           | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.१०            | नक्सापास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि          | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.११            | घरको नक्साको प्रतिलिपि                            | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.१२            | गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने अन्य प्रमाण-पत्र       | ५००                                  |                                                                                                                                                   |
| १.१.१३            | घर नक्सा निरीक्षण तथा सर्जमिन दस्तुर              | ५००                                  | गाउँपालिकाले भवन संहिता लागु गरे पछि वा सो पूर्व परामर्शदाता वा छुट्टै कर्मचारीबाट नक्सा र निर्मित घरको भेरिफिकेशन, संहिता पालनाका विषयमा फिल्डमा |

|                                                                                           |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                                  |      | सहजीकरण गरेवापत छुट्टै तोकिएको दस्तुर लाग्नेछ ।                                                                                                                                                                 |
| १.१.१४                                                                                    | लेआउट दस्तुर                                                                                                     | १००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| १.१.१५                                                                                    | माथि उल्लेख नभएका विषयमा लिईने दस्तुरको हकमा                                                                     | ५००  |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>अ. घरबाटो प्रमाणित (राजिनामा पास तथा रजिष्ट्रेसन र धितो बन्धक गर्दा मात्र ) दस्तुर</b> |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| क                                                                                         | ५ रोपनी सम्मको                                                                                                   | ५००  | बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको स्थायी ठेगाना भएको नागरिकको हकमा (राजिनामा पास तथा रजिष्ट्रेसनको हकमा ग्राभेल भएको बाटोमा थप रु १०० र कालो पत्रे भएको बाटोमा रु २०० प्रति रोपनीमा थप दस्तुर लाग्नेछ ।)             |
| ख                                                                                         | ५ देखी १५ रोपनी सम्मको                                                                                           | १००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| ग                                                                                         | १५ रोपनी भन्दा माथि                                                                                              | २००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| घ                                                                                         | ५ रोपनी सम्मको                                                                                                   | १००० | बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको स्थायी ठेगाना भन्दा बाहिर भएको नागरिकको हकमा (राजिनामा पास तथा रजिष्ट्रेसनको हकमा ग्राभेल भएको बाटोमा थप रु १०० र कालो पत्रे भएको बाटोमा रु २०० प्रति रोपनीमा थप दस्तुर लाग्नेछ ।) |
| ङ                                                                                         | ५ देखी १५ रोपनी सम्मको                                                                                           | २००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| च                                                                                         | १५ रोपनी भन्दा माथि                                                                                              | ५००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१.१.१६ घर नक्सापास दस्तुर</b>                                                          |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| क                                                                                         | १००० बर्गफुट सम्म नक्सापास गर्दा प्रतिवर्गफुट                                                                    | १५०  |                                                                                                                                                                                                                 |
| ख                                                                                         | १००१ बर्गफुट १५०० सम्मको लागिप्रतिवर्गफुट                                                                        | ११५० |                                                                                                                                                                                                                 |
| ग                                                                                         | १५०१ देखि २५०० बर्गफुट सम्मको लागि                                                                               | २१५० |                                                                                                                                                                                                                 |
| घ                                                                                         | २५०१ बर्गफुट भन्दा माथि                                                                                          | ३१५० |                                                                                                                                                                                                                 |
| ङ                                                                                         | पर्खाल प्रति रनिङ्ग फिट                                                                                          | ३१०  |                                                                                                                                                                                                                 |
| च                                                                                         | काठको घर वा टाँडे घर प्रतिवर्ग फुट                                                                               | १५०  |                                                                                                                                                                                                                 |
| छ                                                                                         | भुईँतलामा पक्की दिवाल भइ माथि टीनको छाना भएको प्रतिवर्गफुट                                                       | ३१०  |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१.१.१७ घर नक्सा नामसारी दस्तुर</b>                                                     |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| क                                                                                         | १००० वर्गफिट सम्मको घर नक्सानामसारी                                                                              | ४००  | घर जग्गाधनीको मृत्यु भई प्रचलित कानून बमोजिम एकाघर सगोलका परीवारमा नामसारी गर्नु पर्दा १००० बर्गफिट सम्मको घरमा रु. ५०० सो भन्दा माथि जतिसुकै भएपनि रु.१००० लिईने छ ।                                           |
| ख                                                                                         | १००० देखि ३००० वर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी                                                                   | ५००  |                                                                                                                                                                                                                 |
| ग                                                                                         | ३००१ देखि ५००० वर्गफुट सम्मको घर नक्सा नामसारी                                                                   | ७००  |                                                                                                                                                                                                                 |
| घ                                                                                         | ५००१ वर्गफुट भन्दा माथि प्रति वर्गफुट                                                                            | १००० |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१.२ सिफारिस शुल्क</b>                                                                  |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>१.२.१ घर र जग्गा सम्बन्धीका सबै खाले सिफारिस (घरजग्गा कायम समेत) शुल्क</b>             |                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                 |
| क                                                                                         | पक्की घर प्रमाणित (प्रथम तलाका लागि)                                                                             | ५००  | त्यस पछिको प्रति तलामा थप रु १००।०                                                                                                                                                                              |
| ख                                                                                         | अर्ध पक्की घर प्रमाणित (ईटा तथा सिमेण्टको जोडाई र जस्तापाता, टालि तथा खरको छाना)                                 | ३००  | यसले टाडो घरलाई समेत जनाउँछ ।                                                                                                                                                                                   |
| ग                                                                                         | कच्ची घर प्रमाणित (काठ तथा सिमेण्टको खावो, काठ तथा बासको भाटा र सिमेण्ट प्लष्टर र जस्तापाता, टाली तथा खरको छाना) | २००  |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                             |                                                                                            |      |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घ                                                           | पूर्ण कच्ची (काठ तथा बासको खावो, बासको भाटा र खर तथा परालको घेरावेरा र खर तथा परालको छाना) | १००  |                                                                                                      |
| ड                                                           | चारकिल्ला सिफारिस                                                                          |      |                                                                                                      |
| ड १                                                         | ५ रोपनीसम्म                                                                                | १००० | बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको स्थायी ठेगाना भएको नागरिकको हकमा                                        |
| ड २                                                         | ५ देखि १५ रोपनीसम्म                                                                        | १५०० |                                                                                                      |
| ड ३                                                         | १५ रोपनी भन्दा माथि                                                                        | २००० |                                                                                                      |
| ड ४                                                         | ५ रोपनी सम्म                                                                               | २००० | बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको स्थायी ठेगाना भन्दा बाहिर भएको नागरिकको हकमा                            |
| ड ५                                                         | ५ देखि १५ रोपनीसम्म                                                                        | ३००० |                                                                                                      |
| ड ६                                                         | १५ रोपनी भन्दा माथि                                                                        | ५००० |                                                                                                      |
| च                                                           | घर जग्गा नामसारी तथा नामसारी सिफारिस                                                       |      |                                                                                                      |
| च.१                                                         | घर नामसारी तथा नामसारी सिफारिस                                                             | ३००  | ७५० वर्गफुट भन्दा माथिको हकमा प्रति बर्ग फुट रु १० थप                                                |
| च.२                                                         | जग्गा नामसारी तथा नामसारी सिफारिस                                                          | ३००  | एक रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी थप रु. १०                                                            |
| छ                                                           | मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाँड सिफारिस (१ रोपनी सम्म)                                      | ५००  | एक रोपनीभन्दा माथिप्रति रोपनी थप रु. २०                                                              |
| ज                                                           | मोही लगत कट्टा सिफारिस (१ रोपनी सम्म)                                                      | ३००  | एक रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी थप रु. २०                                                            |
| झ                                                           | अपुताली सिफारिस दस्तुर (५ रोपनी १००० र ५ भन्दामाथि २०००)                                   | २००० | एक रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी थप रु. १००                                                           |
| ञ                                                           | हकभोग तथा जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारिस                                                     | ५००  | एक रोपनी भन्दा बढीका लागि प्रति रोपनी रु १००                                                         |
| ट                                                           | जग्गा सम्बन्धमा धर्मपुत्र सिफारिस                                                          | १००० |                                                                                                      |
| १.२.२ अभिन बाट गरिने सबै प्रकारका सिफारिसहरू                |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| १.२.२.१ माग निवेदको आधारमा जग्गा छुट्याउने काम              |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| क                                                           | १ रोपनीसम्मको                                                                              | ५००  | ● बजार तथा आवास क्षेत्रको हकमा थप रु ३००।०<br>● घर बनाउन किचलो परी जग्गा छुट्याउनु परेमा थप रु ३००।० |
| ख                                                           | १ रोपनी देखि माथि ५ रोपनीसम्म                                                              | ७००  |                                                                                                      |
| ग                                                           | ५ रोपनी भन्दा माथि                                                                         | १००० |                                                                                                      |
| १.२.२.२ दूरी प्रमाणित लगायतका अन्य अभिन सँग जोडिएका सिफारिस |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| क                                                           | वैकिड प्रयोजनका लागि ।                                                                     | ५००  |                                                                                                      |
| ख                                                           | सर्वसाधारण सँग जोडिएका सिफारिस                                                             | ३००  |                                                                                                      |
| ग                                                           | किचलो परी आएको हकमा                                                                        | ७००  |                                                                                                      |
| घ                                                           | माथि उल्लेखित बाहेकको हकमा                                                                 | ५००  |                                                                                                      |
| १.२.३ बसोवास प्रमाणित                                       |                                                                                            | २००  |                                                                                                      |
| १.२.४ घर कोठा खोल्ने सिफारिस                                |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| क                                                           | व्यवसायिक घर कोठा खोल्ने                                                                   | १००० |                                                                                                      |
| ख                                                           | आवासीय घर कोठा खोल्ने                                                                      | ५००  |                                                                                                      |
| १.२.५ वीमा प्रयोजनका लागि गरिने आगलागी सम्बन्धी सिफारिस     |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| क                                                           | उद्योग तथा कल कारखाना                                                                      |      |                                                                                                      |
| क.१                                                         | साना तथा घरेलु उद्योग (रु २५ लाख सम्म पुँजी भएका)                                          | २००० | वीमा प्रयोजन बाहेकका सबै प्रकारका आगलागी सम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क                                   |
| क.२                                                         | मझौला उद्योगमा( रु १ करोड सम्म पुँजीभएका)                                                  | २५०० |                                                                                                      |
| क.३                                                         | ठूला उद्योगमा ( १ करोड भन्दा माथिका)                                                       | ४००० |                                                                                                      |
| १.२.५.१ ब्यापार, ब्यवशाय तथा पसल कोठामा भएको आगजनी          |                                                                                            |      |                                                                                                      |
| क                                                           | रु १ करोड भन्दा माथिको लगानी भएको                                                          | २००० |                                                                                                      |
| ख                                                           | रु १ करोड सम्मको लगानी भएको                                                                | १५०० |                                                                                                      |
| ग                                                           | रु ५० लाख सम्मको लगानी भएको                                                                | १००० |                                                                                                      |

|                                                                                                        |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घ                                                                                                      | रु २५ लाख सम्मको लगानी भएको                                                        | ७५०      |                                                                                                                                                                               |
| ङ                                                                                                      | रु १० लाख सम्मको लगानी भएका                                                        | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| १.२.५.२                                                                                                | सर्वसाधारणको घर टहरामा आगलागी सिफारिस निःशुल्क                                     | निःशुल्क |                                                                                                                                                                               |
| १.२.६ नागरिकतासँग सम्बन्धित सिफारिस                                                                    |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| क                                                                                                      | नागरिकता प्रमाणपत्र                                                                | निःशुल्क |                                                                                                                                                                               |
| ख                                                                                                      | नागरिकता सर्जिमिन                                                                  | निःशुल्क |                                                                                                                                                                               |
| ग                                                                                                      | नागरिकताको प्रतिलिपि                                                               | निःशुल्क |                                                                                                                                                                               |
| घ                                                                                                      | अंगीकृत नागरिकता                                                                   | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| ङ                                                                                                      | वैवाहिकअंगीकृत नागरिकता                                                            | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| १.२.७ पञ्जिकरणसँग सम्बन्धी प्रमाणित सिफारिस                                                            |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| क                                                                                                      | विवाह प्रमाणित                                                                     | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| ख                                                                                                      | जन्म प्रमाणित                                                                      | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| ग                                                                                                      | मृत्यु प्रमाणित                                                                    | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| घ                                                                                                      | बसाईसराई प्रमाणित                                                                  | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| ङ                                                                                                      | अविवाहीत प्रमाणित                                                                  | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| च                                                                                                      | उमेर प्रमाणित                                                                      | २५०      |                                                                                                                                                                               |
| १.२.८ व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारिस (उल्लेखित सिफारिसमा सर्जिमिन गर्न परेमा सो को दस्तुर पुनःलाग्ने छ ) |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| क                                                                                                      | चारित्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारिस स्थायी बसोवास भएका लागि                        | १५०      |                                                                                                                                                                               |
| ख                                                                                                      | चारित्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारिस बागमती गाउँपालिकामा स्थायी बसोवास नभएको हकमा   | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| ग                                                                                                      | नेपाली पेन्सन पट्ट वाहाकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारिस                              | ३५०      |                                                                                                                                                                               |
| घ                                                                                                      | भारतीय पेन्सन वाहाकका लागि जुनसुकै सिफारिस                                         | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| ङ                                                                                                      | अन्य देशका पेन्सन वाहाकको हकमा                                                     | १०००     |                                                                                                                                                                               |
| च                                                                                                      | कृषिसँग सम्बन्धित सिफारिसको हकमा बोरिङ गर्न समेत                                   | १५०      |                                                                                                                                                                               |
| छ                                                                                                      | वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको सिफारिस                                            | ०।०      | निःशुल्क                                                                                                                                                                      |
| ज                                                                                                      | व्यवसाय बन्द सिफारिस                                                               | ३००      |                                                                                                                                                                               |
| १.२.९ उद्योग दर्ता सिफारिस                                                                             |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| १.२.९.१ खाद्य तथा पेय पदार्थ, प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने                                                |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| क                                                                                                      | दाल, चामल, चिउरा, भुजिया लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु                               | ५००      | <ul style="list-style-type: none"><li>● चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मकालाई थप रु १००</li><li>● चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिका लागि प्रति करोड थप रु ५००</li></ul> |
| ख                                                                                                      | पाउरोटी तथा केक                                                                    | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| ग                                                                                                      | मसला तथा मसलाजन्य पदार्थ                                                           | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| घ                                                                                                      | चाउचाउ, विस्कूट, कन्फेक्सनरी, सस लगायत                                             | ५००      |                                                                                                                                                                               |
| ङ                                                                                                      | बरफ, जुस लगायत                                                                     | ३००      |                                                                                                                                                                               |
| च                                                                                                      | हल्का पेय पदार्थ                                                                   | १०००     |                                                                                                                                                                               |
| छ                                                                                                      | डिस्टीलरी उद्योग                                                                   | २०००     |                                                                                                                                                                               |
| ज                                                                                                      | माथि उल्लेख नभएका खाद्य पदार्थ प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका उद्योगहरूलाई | १०००     |                                                                                                                                                                               |
| १.२.९.२ चिया तथा जडिबुटी                                                                               |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                               |
| क                                                                                                      | चिया, कफी प्रशोधन केन्द्र                                                          | १०००     | <ul style="list-style-type: none"><li>● चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मकालाई थप रु ५००</li><li>● चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिका लागि प्रति करोड थप रु ५००</li></ul> |
| ख                                                                                                      | जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र                                                            | १०००     |                                                                                                                                                                               |

|                                                               |                                                          |                     |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.२.१० पशु आहार उत्पादन तथा प्रशोधन                           |                                                          |                     |                                                                                                                                                                           |
| क                                                             | पशु आहार पिलेट दाना                                      | १०००                | <ul style="list-style-type: none"><li>चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मकालाई थप रु २००</li><li>चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिका लागि प्रति करोड थप रु ३००</li></ul> |
| ख                                                             | पशु आहार सामान्य                                         | ५००                 |                                                                                                                                                                           |
| १.२.११ अन्य उद्योगहरू                                         |                                                          |                     |                                                                                                                                                                           |
| क                                                             | जुता चप्पल, कपडा उद्योग                                  | २०००                | <ul style="list-style-type: none"><li>चुक्ता पूँजी रु २५ लाख माथि १ करोड सम्मकालाई थप रु ५००</li><li>चुक्ता पूँजी १ करोड भन्दा माथिका लागि प्रति करोड थप रु ५००</li></ul> |
| ख                                                             | सलाई उद्योग                                              | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| ग                                                             | प्लाई उद्योग                                             | ३०००                |                                                                                                                                                                           |
| घ                                                             | काष्ठ उद्योग                                             | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| ङ                                                             | मिल सहितको काष्ठ उद्योग                                  | २५००                |                                                                                                                                                                           |
| च                                                             | फर्निचर उद्योग मात्र                                     | १०००                |                                                                                                                                                                           |
| छ                                                             | बेतबांस फर्निचर                                          | ५००                 |                                                                                                                                                                           |
| ज                                                             | प्लाष्टिक उद्योग                                         | ५०००                |                                                                                                                                                                           |
| झ                                                             | स्टेशनरी उद्योग                                          | १५००                |                                                                                                                                                                           |
| ञ                                                             | ग्रील उद्योग                                             | १०००                |                                                                                                                                                                           |
| भ                                                             | गलैचा उद्योग                                             | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| ट                                                             | गामेन्ट उद्योग                                           | १५००                |                                                                                                                                                                           |
| ड                                                             | ईटा उद्योग आधुनिक भट्टा जडित                             | ७०००                |                                                                                                                                                                           |
| ढ                                                             | ईटा तथा टायल आधुनिक यन्त्र जडान नगरिएको                  | ५०००                |                                                                                                                                                                           |
| ण                                                             | सिमेण्ट ब्रिक बनाउने                                     | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| त                                                             | तामा आल्मिनियम जस्ता धातु उद्योग                         | १०००                |                                                                                                                                                                           |
| थ                                                             | प्रेस बाहेक प्रिन्टीङ                                    | १५००                |                                                                                                                                                                           |
| द                                                             | चुरोट विडी                                               | ५०००                |                                                                                                                                                                           |
| ध                                                             | लुब्रिकेन्ट्स उद्योग                                     | १५०००               |                                                                                                                                                                           |
| द                                                             | माथि उल्लेख नभएका उद्योगहरूको हकमा उद्योगको प्रकृति हेरी | ६०० देखि २०००० सम्म |                                                                                                                                                                           |
| १.२.१२ व्यापार व्यवसाय दर्ता सिफारिस                          |                                                          |                     |                                                                                                                                                                           |
| क                                                             | खाद्य पदार्थको थोक विक्रेता                              | ३००                 |                                                                                                                                                                           |
| ख                                                             | हलुका पेय पदार्थको थोक विक्रेता                          | १०००                |                                                                                                                                                                           |
| ग                                                             | फलाम तथा फलामे डण्ड लगायतको थोक तथा होलसेल विक्रेता      | १५००                |                                                                                                                                                                           |
| घ                                                             | विभिन्न प्रकारका मदिराको थोक तथा होलसेल विक्रेता         | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| ङ                                                             | ईटा, टायल, मार्बल लगायतको थोक तथा होलसेल विक्रेता        | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| च                                                             | मिल मेसिनरी तथा पाट पूर्जाको थोक तथा होलसेल विक्रेता     | २०००                |                                                                                                                                                                           |
| छ                                                             | यातायात तथा ढुवानीका साधनको थोक तथा होलसेल विक्रेता      | ३०००                | साईकलको हकमा रु १०० मात्र                                                                                                                                                 |
| ज                                                             | मर्मत सम्भार सम्बन्धी ग्यारेज                            | ५००                 | साईकल तथा मोटरसाईकल भन्दा माथिको हकमा थप रु ५०००                                                                                                                          |
| झ                                                             | पेट्रोल पम्प                                             | ५०००                |                                                                                                                                                                           |
| ञ                                                             | मट्टितेल डिलर                                            | १०००                |                                                                                                                                                                           |
| १.२.१३ निजी शिक्षण संस्था दर्ता लगायत अन्य कामका लागि सिफारिस |                                                          |                     |                                                                                                                                                                           |
| क                                                             | पूर्व प्राथमिक                                           | १५००                |                                                                                                                                                                           |
| ख                                                             | आधारभूत तह                                               | ४५००                |                                                                                                                                                                           |

|                                                      |                                                                                          |                    |                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| ग                                                    | माध्यमिक                                                                                 | ७०००               |                                                     |
| घ                                                    | उच्च मा.वि.                                                                              | १२०००              |                                                     |
| ङ                                                    | क्याम्पस                                                                                 | १७०००              |                                                     |
| च                                                    | प्राविधिक शिक्षण संस्था                                                                  | ७०००               |                                                     |
| छ                                                    | स्तरबृद्धि सिफारिस                                                                       | ५००                | प्रति विषय                                          |
| <b>१.२.१४ विभिन्न संघसंस्थाका लागि गरिने सिफारिस</b> |                                                                                          |                    |                                                     |
| क                                                    | सामाजिक लगायतका विभिन्न संघसंस्थाको बैक खाता खोल्दा वडा तथा गाउँकार्यालयको प्रयोजनार्थ   | ०                  | निःशुल्क                                            |
| ख                                                    | महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित                                                         | १००                |                                                     |
| ग                                                    | अन्य सामाजिक संघ संस्था                                                                  | २५०                |                                                     |
| घ                                                    | सामाजिक संघ संस्था बाहेकका लागि                                                          | ३००                |                                                     |
| ङ                                                    | संस्थादत्ता                                                                              | ५००                |                                                     |
| च                                                    | समूहदत्ता                                                                                | २५०                |                                                     |
| छ                                                    | नवीकरण शुल्क(अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समूहका लागि निःशुल्क)                               | २००                |                                                     |
| <b>१.२.१५ अन्य सिफारिस</b>                           |                                                                                          |                    |                                                     |
| क                                                    | <b>विद्युत सिफारिस</b>                                                                   |                    |                                                     |
| क. १                                                 | कृषि व्यवसाय तथा सिंचाई प्रयोजन समेत                                                     | १००                |                                                     |
| क. २                                                 | उद्योग, कलकारखाना, पसल तथा व्यवसाय र व्यवसायिक भवन समेत (थ्रिफेज लाईन जडान सिफारिस समेत) | ५००                |                                                     |
| क. ३                                                 | आवासीय घरमा                                                                              | १५०                |                                                     |
| क. ४                                                 | सकुम्बासी तथा गरिव र सिमान्तकृत परिवारका लागि समेतको हकमा                                | ५०                 |                                                     |
| ख                                                    | <b>रुख काट्ने तथा उपलब्ध गराउने सिफारिस</b>                                              |                    |                                                     |
| ख. १                                                 | नम्बरी जग्गाको रुख कटाने                                                                 | १००                | १ भन्दा बढी रुख भए प्रति रुख थप ५०                  |
| ख. २                                                 | सहूलियत काठ उपलब्ध गराउने                                                                | ३००                | दाउराको प्रयोजन भए प्रति ट्याक्टर रु १५०।०          |
| ग                                                    | अंग्रेजीमा दिईने सबै प्रकारका सिफारिस                                                    | ५००                |                                                     |
| घ                                                    | सिनेमा हल खोल्ने                                                                         | १००००              |                                                     |
| ङ                                                    | सीमित समयका लागि मेला सर्कस सञ्चालन अनुमति प्रतिदिन                                      | ५००                |                                                     |
| च                                                    | टेलिफोन जडान                                                                             | २००                |                                                     |
| छ                                                    | खानेपानीको धारा जडान                                                                     | १००                |                                                     |
| ज                                                    | अन्य माथि उल्लेख नभएका                                                                   | ५०० देखि १००० सम्म |                                                     |
| १.२.१६                                               | रजिष्ट्रेशन                                                                              | ५ प्रतिशत          | बागमती गाउँपालिकाबाट प्लटिङ गरेको घडेरीमा लागू हुने |
| १.२.१७                                               | विटौरी                                                                                   | १००                | प्रति घडेरी वार्षिक                                 |
| १.२.१८                                               | सामाजिक सुरक्षा परिचय (नयाँ तथा नवीकरण)                                                  | ५०                 | अपाङ्ग र बालबालिकालाई छुट                           |
| १.२.१९                                               | दूरसञ्चारको टावर राख्न अनुमति सिफारिस                                                    | २००००              | साना ठूला दुवैलाई                                   |

## २. दण्ड सजाय तथा जरिवाना

| सि.न. | विवरण | आ.व.<br>२०७७/०७८<br>का लागि<br>प्रस्तावित | कैफियत |
|-------|-------|-------------------------------------------|--------|
|-------|-------|-------------------------------------------|--------|

|        |                                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | ३५ दिनभित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना                                                                                     | निशुल्क                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| २      | ३५ दिन नाघी दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना                                                                                     | राष्ट्र परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन / नियमालीमा उल्लेख भए बमोजिम | अन्यत्र बाट बसाई सरी आएका र बसाई सनुपूर्व अन्यत्र बाटै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी बसाई सरे पछि यस गाउँपालिकामा दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना दर्ताको हकमा थप रु १५० |
| ३      | गाउँपालिकाले तोकेको निषेधित क्षेत्र तथा छिमेकिलाई असर पर्ने गरी घर छेउ, चोक लगायतका क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेका हकमा         | ५००।०                                                          | फोहोर उठाउन लागेको रकम समेत थप लिने                                                                                                                                             |
| ४      | निषेधित प्लास्टिक प्रयोग गर्नेका हकमा                                                                                     | ५०० देखि १००० सम्म                                             | प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र घोषण भए पछि कार्यान्वयन हुने                                                                                                                          |
| ५      | जथाभावि चौपाया छोड्नेका हकमा प्रतिदिन प्रति चौपाय                                                                         |                                                                | जदिन सम्म पनि चौपाया लिन चौपाय धनी नआएमा गाउँपालिकाले लिलाम गर्ने छ।                                                                                                            |
| ५.१    | खसी, बाखा, भेडा च्याग्रा आदि                                                                                              | १००                                                            | पाठापाठी लगायतको हकमा ५० % खुराकी खर्च प्रतिदिन रु १००।०                                                                                                                        |
| ५.२    | गाई, गोरु, रांगा, भैसी, घोडा लगायत                                                                                        | २००                                                            | खुराकी खर्च थप रु १५०।० प्रतिदिन बाछ्छा बाछ्छी र पाडापाडीको हकमा सो को पचास प्रतिशत थप                                                                                          |
| ५.३    | माथि उल्लेखित बाहेकका चौपायाको हकमा जरिवाना रु १००। र                                                                     | १००                                                            | खुराकी १००। प्रतिदिन।                                                                                                                                                           |
| ६      | मालपोतको हकमा एक वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि                                                                               | १० % थप                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| ७      | मालपोतको हकमा दुई वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि                                                                              | २० % थप                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| ८      | मालपोतको हकमा दुई वर्ष भन्दा बढि बक्यौताका लागि                                                                           | ३० % थप                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| ९.     | व्यवसायको बक्यौता                                                                                                         | १० % थप                                                        | ३ वर्ष भन्दा माथिका बक्यौताको हकमा १५ % थप जरिवाना लाग्नेछ।                                                                                                                     |
| १०     | अर्कालाई अप्ठेरो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने, घर टहरा निर्माण गर्ने                                                  | ५००                                                            | गाउँपालिकाले हटाउँदाको खर्च समेत थप गरि लिने                                                                                                                                    |
| १०.१   | सवै प्रकारका पसल तथा व्यवसाय खोली गाउँपालिकामा दर्ता नगरी अनुमति बेगर सञ्चालन गरिरहेको                                    |                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| १०.१.१ | १ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप                                                                                         | २५ %                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| १०.१.२ | २ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप                                                                                         | ५० %                                                           |                                                                                                                                                                                 |
| १०.१.२ | ३ वर्ष सम्म नआएकोलाई आधार दरमा थप                                                                                         | १०० %                                                          |                                                                                                                                                                                 |
| ११     | अर्कालाई बाधा अवरोध पुग्ने गरी ढल, नाला, चर्पि, सेफ्ट टैंक बनाउनेलाई                                                      | १०००                                                           | गाउँपालिकाले हटाउँदाको खर्च समेत थप गरि लिन                                                                                                                                     |
| १२     | इजाजत बेगर सार्वजनिक स्थान, बाटो, घोडेटो, गोरेटो घेर्ने, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउने लाई                                       | ५००                                                            | गाउँपालिकाले हटाउँदाको खर्च समेत थप गरि लिन                                                                                                                                     |
| १३     | विना अनुमति सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानी, अतिक्रमण वा अपचलन गर्ने, अव बन्नेमा                                         | १०००                                                           | प्रचलित कानूनले तोकेमा सोही बमोजिम र त्यस सम्पतिलाई दुरुस्त पार्न लाग्ने खर्च समेत थप                                                                                           |
| १४     | विना अनुमति सार्वजनिक जग्गामा वा त्यस्तो जग्गा मिची घर, टहरा आदि अव बन्नेमा निर्माण गर्ने                                 | २०००                                                           | घर टहरा भत्काउने र भत्काउदा लागेको तथा हटाउँदा लागेको खर्च समेत असुल गर्ने                                                                                                      |
| १५     | कुनै किसिमका यन्त्र उपकरण जोडि बाकुनै उपकरण वामनोरञ्जनका साधनद्वारा छर छिमेक वा समाजमा शान्ति भङ्ग हुने कृयाकलाप गर्नेलाई | २००                                                            | हटाउन लाग्ने खर्च समेत असुल गर्ने                                                                                                                                               |
| १६     | पशलहरूमा मूल्य सूची नराख्नेलाई                                                                                            | ५००                                                            |                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                             |      |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| १७ | खेतीयोग्यजमिनबाभो राख्ने जग्गाधनीहरू यो वर्ष बांभो नराख्न सूचनादिने, दोस्रो वर्ष सचेत गराउने तेस्रो वर्ष देखि जरिवानातोक्ने | ५००० | त्यस पछिको प्रति पटक दोब्बर गर्दै जाने । |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|

#### नोटः

क. गाउँपालिकाको आदेश नमान्नेलाई थप जरिवाना स्वरूप पहिलो पटकका लागि रु ५००, दोस्रो पटकका लागि थप १००० तथा तेस्रो वा अन्तिम पटकका लागि ५००० लिने साथै निजको हकमा गाउँपालिकाबाट दिईने वा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका सेवा सुविधा बन्द गर्न सक्ने ।

ख. एक पटक जरिवाना भोगी सकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही प्रकारको गल्ति दोहोर्‍याएमा प्रति पटक दोब्बर जरिवाना गरिने ।

ग. अन्य बाकिको हकमा प्रचलित कानून तथा बागमती गाउँपालिकाको ऐन तथा नियम बमोजिम हुनेछ ।

#### ३. स्वास्थ्य संस्थामा प्रदान गरिने सेवा तथा परीक्षणको लागि लाग्ने शुल्क :

| सि.नं. | सेवा तथा परीक्षणको विवरण         | दस्तुर    |
|--------|----------------------------------|-----------|
| १      | इसिजी सेवा                       | रु. ५०/-  |
| २      | एक्स्रे छातीको                   | रु १५०/-  |
| ३      | एक्स्रे छाती बाहेक अन्य भाग      | रु. २००/- |
| ४      | रगत परीक्षण सिविसी               | रु. ८०/-  |
| ५      | ब्लड सुगर                        | रु. ३५/-  |
| ६      | विलिरुविन                        | रु. ८०/-  |
| ७      | युरिक एसिड                       | रु. ८०/-  |
| ८      | क्रेयाटिनिड                      | रु. ८०/-  |
| ९      | विडाल                            | रु. १२०/- |
| १०     | ब्लड ग्रुपिड                     | रु. २५/-  |
| ११     | टिपिएचए                          | रु. ८०/-  |
| १२     | एच वि (SAG)                      | रु. ११०/- |
| १३     | आर ए फ्याक्टर                    | रु. ११०/- |
| १४     | प्रेग्नेन्सी टेष्ट               | रु. ५५/-  |
| १५     | युरिन R/E                        | रु. ३०/-  |
| १६     | स्टुल R/E                        | रु. ३०/-  |
| १७     | एच बी                            | रु. ३०/-  |
| १८     | ईई एस आर                         | रु. ३०/-  |
| १९     | Occult ब्लड                      | रु. ८०/-  |
| २०     | युरिन यरिष्टीक (सुगर र आल्बुमिन) | रु. ३०/-  |
| २१     | एच वि सी                         | रु. १२०/- |
| २२     | टी सी                            | रु. २५/-  |
| २३     | डी सी                            | रु. २५/-  |
| २४     | बी टी                            | रु. २५/-  |
| २५     | सी टी                            | रु. २५/-  |
| २६     | टी जी                            | रु. १२०/- |
| २७     | कोलिष्टोरल                       | रु. १२०/- |

#### ४. एम्बुलेन्स सेवा -

क. गाउँपालिका भित्रको नागरिकको हकमा - रु ६० प्रति कि.मी.

ख. गाउँपालिका बाहिरको नागरिकको हकमा - रु ९० प्रति कि.मी.

#### ५. न्यायिक समिति सम्बन्धी सेवा दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण                                                                        | दर रु | कैफियत    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| १       | न्यायिक समितिमा पेश हुने उजुरी र प्रतिउत्तर पत्र दस्तुर<br>लैंगिक हिंसा      | १००   |           |
| २       | न्यायिक समितिमा पेश हुने अन्य उजुरी र प्रतिउत्तर पत्र<br>दस्तुर              | ५००   |           |
| ३       | न्यायिक समितिमा पेश हुने वयावसायिक प्रकृतिका<br>उजुरी प्रतिउत्तर पत्र दस्तुर | १०००  |           |
| ४       | प्रतिलिपि पाउँ भन्ने र अन्य साधारण निवेदन                                    | १००   |           |
| ५       | प्रतिलिपि दस्तुर                                                             | ५     | प्रति पेज |
| ६       | मिलापत्र दस्तुर                                                              | ५००   |           |

अनुसुचि - ८  
दफा १० सँग सम्बन्धित  
बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको विज्ञापन गरेको दर

| क्र.सं. | विवरण                                                          | दर                                                  | कैफियत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | होडिंग बोर्ड मुख्य सडकहरूमा प्रतिवर्ग फिट                      | ५०                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>भित्तेलेखन लाई पूर्णत बन्देज गरिएको छ ।</li> <li>सडक क्रस गरेर व्यानर राख्न पाइने छैन ।</li> <li>राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार र सार्वजनिक सुचना तोकिएको समय सम्म निःशुल्क</li> <li>वियर, मदिरा, चूरोट तथा सुर्तिजन्यपर्दाथको विज्ञापनलाई निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा राख्न स्वीकृति दिइने छैन ।</li> </ul> |
| २       | होडिंग बोर्ड मुख्य सडक संग जोडिएका शाखा सडकहरूमा प्रतिवर्ग फिट | ३०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३       | होडिंग बोर्ड अन्य शाखा सडकमा प्रतिवर्ग फिट                     | २०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४       | फ्ल्यास बोर्ड प्रतिवर्ग फिट                                    | २०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५       | माथि उल्लेखित प्रकरण बाहेकका हकमा प्रतिवर्ग फिट                | २०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६       | व्यानर प्रति फिट                                               | २०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ७       | व्यानर व्यापारिक प्रतिगोटा प्रतिवर्ग फिट(दुई हप्ताकालागि)      | २०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८       | गेट राख्नगाउँपालिकाको स्वीकृतिलिएर मात्र प्रतिहप्ता            | १०००                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ९       | प्रचार प्रसार रिक्साबाट मार्किंग प्रतिदिन मात्र                | ५०                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०      | प्रचार प्रसार गाडिबाट प्रतिदिन                                 | १००                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११      | राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक व्यानर ३ हप्तासम्म निःशुल्क        | निःशुल्क(सो भन्दा बढि समयका लागि प्रतिदिन रु १००।०) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

अनुसूचि - ९  
दफा ११ सँग सम्बन्धित  
बागमती गाउँपालिका, ललितपुरको मनोरञ्जन करको दर

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                           | दर    | कैफियत                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमा हलहरूबाट कुल सिट संख्याको ३५ प्रतिशत सिटलाई पुरा सिट संख्या मानी प्रत्येक टिकटमा लाग्ने प्रवेश शुल्कको । | ४ %   | टिकटमा गाउँपालिकाको परिचय खुल्ने स्टिकर वा संकेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ । जति टिकटको संकेत नं. लिनेहो त्यतिको हुने कर अग्रीमभुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।   |
| २       | १ मा उल्लेख भए बमोजिमप्रति टिकटमा मनोरञ्जन कर लिईने व्यवस्था नभए सम्मका लागि वार्षिक                                                            | ७,००० |                                                                                                                                                            |
| ३       | सांस्कृतिकप्रदर्शन हल, नाच घर, दोहोरी संगीततथा अन्य मनोरञ्जन सामग्री प्रदर्शनीमा प्रवेश शुल्कमा                                                 | ३ %   | टिकटमा गाउँपालिकाको परिचय खुल्ने स्टिकर वा संकेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ । जति टिकटको संकेत नं. लिने हो त्यतिको हुने कर अग्रीम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । |
| ४       | जादु, सर्कस, चटके र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर बापत अनुमतिका लागि गरिने सिफारिसका दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक दिन                            | ५००   | यस्तो कर अनुमति लिन आउंदा एकमुष्ट रुपमा अग्रीम भुक्तानी लिईनेछ ।                                                                                           |

**अनुसूची- १०**

**निजी शैक्षिक संस्था, शैक्षिक परामर्श सेवा तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको अभिलेखकिरण, नविकरण, परीक्षा शुल्क साथै स्थानान्तरण बापत**

अनुसूची-११

दफा २० सँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा बिक्री कर

| क्र सं | विवरण                                  | इकाई           | दर संकलन शुल्क | दर बिक्री शुल्क |                                                |
|--------|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| १      | ढुङ्गा गिटी रोडा ग्राबेल चटान स्लेट    | प्रति क्यू फिट |                |                 | बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७८ मा तोकिए अनुसार |
| २      | बालुवा चिप्स                           | प्रति क्यू फिट |                |                 |                                                |
| ३      | माटो (भरौट र बलौटे)                    | प्रति क्यू फिट |                |                 |                                                |
| ४      | नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा | प्रति क्यू फिट |                |                 |                                                |

|   |                                                                                                                                                                                          |                |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
|   | (दहत्तर बहत्तर)                                                                                                                                                                          |                |  |  |  |
| ५ | नम्बरी आवादीको ढुङ्गा<br>गिट्टी बालुवा                                                                                                                                                   | प्रति क्यू फिट |  |  |  |
| ६ | खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी विक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको<br>बिक्रीमा बिक्री बखत प्रति बोरा रु ३ का दरले प्राकृतिक स्रोत उपयोग बापत शुल्क लगाइनेछ । |                |  |  |  |